

शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)

GOVT. DIGVIJAY AUTONOMOUS POST GRADUATE COLLEGE
RAJNANDGAON (CHHATTISGARH) 491441

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. से सम्बद्धता प्राप्त

नैक से "B++" ग्रेड की अधिमान्यता प्राप्त महाविद्यालय



विवरणिका (2023-24)

ESTABLISHED-1957



Phone No- 07744-225036, Fax- 0744-225036

Email- principal@digvijaycollege.com

Website- www.gdcr.ac.in

महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ/अधोसंरचना



बायोटेक्नोलॉजी लैब



केन्द्रीय प्रयोगशाला



रसायन शास्त्र प्रयोगशाला कक्ष



कंप्यूटर लैब



भूगोल लैब



लैंग्वेज लैब



पुस्तकालय



इ-पुस्तकालय



पुस्तकालय



भौतिक शास्त्र लैब



प्राणिशास्त्र लैब



महाविद्यालय ऑडिटोरियम



रूसा भवन



स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ



महाविद्यालय प्रवेश द्वार



महाविद्यालय ब्लॉक A, एवं ब्लॉक B



महाविद्यालय का साइकल स्टैंड



महाविद्यालय का पुस्तकालय



महाविद्यालय की कैंटीन



विद्यार्थियों हेतु पेयजल व्यवस्था



महाविद्यालय का कांफ्रेंस हॉल



महाविद्यालय का शहीद वीर नारायण सिंह
ऑडिटोरियम



महाविद्यालय का न्यू हॉल



महाविद्यालय का कंप्यूटर कक्ष

विवरणिका (Prospectus) 2023-24



शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग छ.ग. से सम्बद्धता प्राप्त
नैक ग्रेड-B++

Phone No- 07744-225036, Fax- 0744-225036

Website: www.gdcr.ac.in

Email- principal@digvijaycollege.com

प्रकाशक

प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विद्यार्थियों को वैध परिचय पत्र सदैव महाविद्यालय में लेकर आना होगा।
समय-समय पर आकस्मिक जांच के दौरान प्रवेश पत्र न रखने वाले विद्यार्थियों
के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

रैगिंग दण्डनीय अपराध है, रैगिंग पर लिप्त पाये जाने पर कड़ी
कार्यवाही की जायेगी।

महाविद्यालय में बिना अनुमति मोबाइल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है उपयोग करते हुए पाए जाने पर
मोबाइल महाविद्यालय द्वारा जब्त कर लिया जाएगा

अनुक्रमणिका (Index)

क्रं.	विवरण	पेज नं.
1	महंत राजा दिग्विजय दास की संक्षिप्त जीवन परिचय	5
2	प्राचार्य का विद्यार्थियों के लिए सन्देश	6-7
3	प्रवेश हेतु चेक लिस्ट	8
4	संस्था की विशेषताएं	9-10
5	राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020 की विस्तृत जानकारी	11-16
6	महाविद्यालयीन परीक्षा समय सारणी	17
7	महाविद्यालय में सीटों की संख्या की जानकारी – संभाग वार	18-21
8	स्नातक प्रथम सेमेस्टर कोर्स संरचना	22-23
9	प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2023-24	24-38
10	प्रवेश शुल्क विवरण	39
11	स्वशासी परीक्षा शुल्क	40
12	छात्रावास में प्रवेश नियमावली	41
13	स्वशासी परीक्षा प्रणाली हेतु सामान्य निर्देशन	42-43
14	पाठ्येत्तर गतिविधियाँ	44-45
15	अकादमिक कैलेंडर	46-53
16	छात्रवृत्ति की विस्तृत जानकारी	54-55
17	विद्यार्थियों हेतु आचरण संहिता /अनुशासन	56
18	महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्र	57-58
19	कार्यस्थल में महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013	59
20	विभिन्न समितियों के संयोजक व संपर्क स्थल	60-61
21	पीएचडी शोध निर्देशकों की सूची	62
22	समिति के संयोजकों की सूची	63-64
23	स्वर्ण पदक की सूची	65-68
24	प्राध्यापकों की सूची	69-71
25	तृतीय/चतुर्थ कर्मचारियों की सूची	72-73
26	समस्त प्रपत्रों की प्रारूप	74-91
27	कार्यालयीन उपयोग हेतु प्रारूप	92



राजा महंत दिग्विजय दास परिचय

दिग्विजय दास का जन्म सन् 25.04.1933 को हुआ था। दिग्विजय दास की प्रारंभिक शिक्षा राजकुमार कॉलेज— रायपुर तथा दार्जलिंग में हुई। तत्पश्चात् वे कृषि के क्षेत्र में विशेष शिक्षा प्राप्त करने 1952—53 में इंग्लैंड गये। उनका विवाह बारिया स्टेट के श्री महारावल जगदीप सिंह की बहन राजकुमारी संयुक्तादेवी से 11 दिसंबर 1953 में हुआ था।

महंत राजा दिग्विजय दास शिकार, फास्ट ड्रायविंग, खेल, शिक्षा, कला, पुस्तकों के बड़े शौकीन थे। महाकौशल हॉकी एसोसिएशन के वे संस्थापक तथा प्रथम अध्यक्ष भी थे। खेलकूद में उनकी विशेष अभिरुचि थी। शहर में लालबाग—क्लब स्थापित कर उन्होंने नई रोशनी दी थी। वे अध्ययन में बड़ी रुचि रखते थे तथा सदैव कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। इसी कारण उनकी निजी पुस्तकालय बड़ी समृद्ध थी।

संपूर्ण पुराना किला व भूलनबाग को दान में देकर दिग्विजय महाविद्यालय जैसी एक महान शिक्षा संस्था की स्थापना इस क्षेत्र के लिए उनकी एक महान सेवा है, उन्होंने महाविद्यालय पुस्तकालय हेतु अमूल्य पुस्तकें आलमारियों के साथ दान में दे दिया था। 25 वर्ष के आयु में अचानक 22 जनवरी 1958 को उनका निधन नांदगांव और शिक्षा जगत की महान क्षति थी।



प्राचार्य की कलम से

प्रिय विद्यार्थियों,

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की स्थापना महंत राजा दिग्विजय दास द्वारा प्रदत्त भवन में सन् 1957 में की गई थी। इस महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य (अवैतनिक) श्री किशोरीलाल शुक्ल थे। महाविद्यालय के प्रारंभ में कला एवं वाणिज्य संकाय की कक्षाएं शुरू हुई तथा एक वर्ष बाद विज्ञान संकाय प्रारंभ हुआ। अपनी स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए महाविद्यालय में तीनों संकायों में स्नाकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हो गईं और इसी क्रम में 27 अगस्त 1973 को यह महाविद्यालय शासनाधीन हो गया। तदपश्चात् 1992-1993 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस विश्वविद्यालय को स्वशासी का दर्जा प्रदान किया गया। प्रारंभ में यह योजना स्नातकोत्तर स्तर पर लागू हुई तथा 1997-98 में स्नातक स्तर पर भी स्वशासी योजना लागू कर दी गयी। महाविद्यालय के संपूर्ण विकास एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा 1997-98 से महाविद्यालय जनभागीदारी समिति (स्थानीय प्रबंधन समिति) का गठन किया गया। स्थापना से ही समिति द्वारा विकास की अनेक योजनाओं को क्रियान्वयन की पहल की गयी। क्षेत्र का सबसे पुराना महाविद्यालय होने का गौरवमय इतिहास अपने में समेटे हुए यह महाविद्यालय डॉ. पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी एवं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध की कर्मस्थली भी रहा है। इस महाविद्यालय में अध्ययन पश्चात् अनेक छात्र/छात्राएं प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास में अपनी अहम भागीदारी निभा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने तथा अकादमिक मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) का गठन किया गया है। जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। हमारे महाविद्यालय का भी NAAC ने मूल्यांकन किया था और 70.22: (प्रतिशत) अंक के साथ बी ग्रेड (B Grade) प्रदान किया गया था। नैक द्वारा महाविद्यालय का मूल्यांकन नैक बैंगलूरु द्वारा साइकल 2 के तहत पुनः प्रत्यापन चमत् टीम द्वारा कराया गया परिणाम 2.61 CGPA साथ "B" ग्रेड पाने में सफल रहा एवं 2018-19 साइकल III में महाविद्यालय को **2.88 CGPA(B++)** प्राप्त हुआ। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हम "A" ग्रेड प्राप्त कर सकें, जो हम सबके लिए मील का पत्थर साबित होगा। वर्ष 2010-11 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, शोध, साहित्यिक क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों के मूल्यांकन के आधार पर महाविद्यालय को (CPE) कॉलेज विद् पोटेथियल फॉर एक्सीलेंस का दर्जा प्रदान किया गया है। महाविद्यालय में 'ई-क्लास'की सुविधा भी उपलब्ध है। वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा एक आकर्षक वनस्पति विद्यान महाविद्यालय परिसर में विकसित किया गया है। इसका लाभ विद्यार्थियों को मिलता है। उन्नत कम्प्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधा, एन.आर.सी. उन्नत प्रयोगिक लैब सेंट्रल रिसर्च लैब स्मार्ट क्लास, कान्फ्रेंस हॉल ऑडिटोरियम, लैंग्वेज लैब, गणित लैब की सुविधा भी महाविद्यालय में उपलब्ध है। शैक्षणिक सत्र 2013-2014 से 8 नए व्यावसायिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम तथा स्पोकन इंग्लिश एवं क्रिएटिव राइटिंग में डिप्लोमा, मनोविज्ञान, बी.सी.ए., एम.एस.डब्ल्यू, एस. एस. सी. माइक्रो बायोलॉजी, एम.एस.सी. बायोटेक्नालॉजी तथा एम. एस. सी. कम्प्यूटर भी प्रारंभ हो चुका है। इस वर्ष स्नातकोत्तर डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एण्ड कौंसिलिंग (PGC) तथा बी.पी.एड प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। आधुनिक विश्व के बदलते परिदृश्य में नए विषयों को महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास निरंतर जारी है। व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का आरंभ होना महाविद्यालय के विकास में एक नई कड़ी है। औद्योगिक रसायन, औद्योगिक मत्स्य एवं मत्स्यिकी, बायोटेक्नालॉजी, कम्प्यूटर एप्लीकेशन पी.जी.डी.ए. के नये पाठ्यक्रम आरंभ किये गये हैं। नए पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर मिलें हैं शासन ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाविद्यालय के "वाणिज्य संकाय" को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी है। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने अर्थशास्त्र विभाग को स्नातकोत्तर अध्यापन हेतु विशेष सुविधा मुहैया करायी है।

(1)इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी (2) फूडसाइंस (3) इन्स्ट्रूमेंट मेंटेनेंस(4) स्पोकन इंग्लिस एवं क्रियेटिव राईटिंग जैसे नये पाठ्यक्रम संचालित है। ये पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा तथा तृतीय वर्ष में एडवांस डिप्लोमा के रूप में है। इस प्रकार बी.एससी. उपाधि के साथ, विद्यार्थी अतिरिक्त योग्यता हासिल कर सकते है। श्री कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित बी.जे.एम.सी. पाठ्यक्रम भी इस महाविद्यालय में संचालित है कैम्पस इंटरव्यूव के जरिये टी.सी.एस. बाल्को, लैंको पावर प्रोजेक्ट, विप्रो, ए.सी.सी. वेदांता, जैसी संस्थाओं में विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त कर चुके है । विभिन्न संकायों, रोजगार परक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी विगत वर्षों में विभिन्न वर्दीधारी सुरक्षा सेवाओं में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र निरंतर जहाँ विद्यार्थियों को देश की चुनिंदा कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कैम्पस करा रहा है, वहीं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है। महाविद्यालय का सतत् विकास तभी संभव है जब विद्यार्थी अध्ययन के प्रति एकग्र निष्ठा के साथ अनुशासन का पालन करेंगे। महाविद्यालय में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विभाग प्रकोष्ठ के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी एवं राजेगार अपना कैरियर बना सकें। महाविद्यालय खेल एवं सांस्कृतिक जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना चुका है, छात्र श्री मृणाल चौबे जुनियर हॉकी इण्डिया टीम के सदस्य के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके है तथा गुण्डाधर सम्मान से सम्मानित हो चुके है। श्री अम्बर सिंह भारद्वाज कराते खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक तथा कु ज्ञानेयवरी यादव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में रजत पदक जीत कर महाविद्यालय का नाम रौशन कर चुके है। छात्र ओमान नारायण तम्बोली, दुर्गेश साहू, मोनिका पाढी,कोमल श्रीवास जैसे विद्यार्थी महाविद्यालय का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रौशन कर रहे है वहीं सैकड़ों विद्यार्थी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में राष्ट्रीय एवं महाविद्यालय स्तर पर अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य सभी गतिविधियों में अपनी सक्रियता का परिचय देकर महाविद्यालय की गरिमा की अभिवृद्धि करेंगे, ऐसी आशा है।

शुभकामनाओं सहित

डॉ. के.एल. टांडेकर

प्राचार्य

शासकीय दिग्विजय स्वशासी महाविद्यालय,
राजनांदगांव

विवरणिका (Prospectus)

प्रवेश आवेदन पत्र में संलग्न प्रपत्रों की सूची (चेक लिस्ट)

1. नवीनतम पासपोर्ट फोटो
2. विद्यालय/महाविद्यालय छोड़ने का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (T.C)
3. पिछली संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
4. छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
5. अंकसूची (10 वीं, 12 वीं) तथा स्नातकोत्तर कक्षा हेतु समस्त अंकसूची
6. आधार कार्ड की छायाप्रति।
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/बी.पी.एल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का प्रमाण पत्र।
8. अन्य विश्वविद्यालयों/बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी माइग्रेशन सर्टिफिकेट/पात्रता प्रमाण पत्र।
9. समय अंतराल (Gap Affidavit) (यदि किसी शिक्षा सत्र में अंतराल रहा हो तो)

समय चक्र

विभिन्न संकाय के कक्षाओं के लिये समय चक्र निम्नलिखित है :-

- | | |
|-----|---|
| (क) | कला संकाय : बी.ए., एम.ए. एवं एमएसडब्ल्यू – प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक |
| (ख) | वाणिज्य संकाय : बी.कॉम./बी.सी.ए. और एम.कॉम – प्रातः 7.30 बजे से 2.30 बजे तक |
| (ग) | विज्ञान संकाय : बी.एससी/पीजीडीसीए/एम.एससी –प्रातः 10.30 बजे से 5.30 बजे तक |

संस्था की विशेषताएं

- महाविद्यालय में अध्यापन में दृश्य – श्रव्य यंत्रों का उपयोग, समृद्ध ग्रंथालय, उन्नत प्रयोगशालाएं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण व औद्योगिक भ्रमण की व्यवस्था।
- व्यक्तित्व विकास हेतु समय – समय पर विशेषज्ञों के व्याख्यान कार्यशालाएं।
- विद्यार्थियों के लिए स्पोकन इंग्लिश एवं प्रतियोगी परिक्षाओं की निःशुल्क कक्षाएँ।
- विद्यार्थियों में सम्प्रेक्षण कला के विकास के लिये समूह – चर्चा,संगाष्ठियों, आदि का नियमित आयोजन।
- विद्यार्थियों में सृजनात्मक लेखन कला के विकास के लिए महाविद्यालयीन पत्रिका 'प्रज्ञा' का प्रकाशन।
- कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की विद्यार्थियों द्वारा प्राध्यापकों के मार्ग दर्शन में शोध परियोजना कार्य।
- एन.आर.सी. एवं विभिन्न विभागों में विद्यार्थियों के लिये इंटरनेट की सुविधा।
- पूरा महाविद्यालय कैम्पस वाई-फाई।
- शैक्षणिक साफ्टवेयर N-List, GIS एवं SPSS की सुलभ उपलब्धता।
- विद्यार्थियों हेतु रेमीडियल एवं विशेष कक्षाएं।
- अंग्रेजी में सम्प्रेषण कला एवं शुद्ध उच्चारण हेतु इंग्लिश लैंग्वेज लैब।
- महाविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठित शोध जनरल रिसर्च फ्रंट का प्रकाशन।
- हिन्दी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, इतिहास, भूगोल, बायोटेक्नोलाजी, अंग्रेजी, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय में हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा स्वीकृत शोध केन्द्र।
- विभिन्न विभागों द्वारा नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय शोध संगोष्ठियों का आयोजन।
- जन-जागरुकता कार्यक्रमों में एन.सी.सी., एन.एस.एस., युथ रेड क्रॉस के माध्यम से विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी।
- विगत 20 वर्षों से गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में एन.सी.सी. कैडेट्स की सहभागिता।
- वाणिज्य, गणित एवं संस्कृत के विद्यार्थियों में व्यावहारिक ज्ञान सृजन हेतु 'कामर्स लैब', गणित लैब एवं 'संस्कृत लैब'।
- प्राणीशास्त्र विभाग में विभिन्न प्रजातियों के नमूनों का संग्रहण।
- प्राणीशास्त्र विभाग का संग्रहालय।
- लगभग 1 लाख पुस्तकों से समृद्ध मुख्य ग्रन्थालय एवं विभागीय ग्रन्थालय तथा इन्प्लीबनेट की सुविधा (सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क) तथा 'ई'लायब्रेरी।
- ग्रन्थालय में विद्यार्थियों के दैनिक अखबार, पत्रिकाओं एवं जर्नलस आदि के अध्ययन हेतु रिडिंग रूम।
- दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत इग्नू एवं पं. सुन्दर लाल शर्मा विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र। उच्च तकनीकी युक्त ई-क्लास रूम।
- खिलाड़ीयों के लिये नगद प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था।
- नियमित कैम्पस इंटरव्यू का आयोजन, प्रत्येक कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।

- विद्यार्थियों के लिए रोजगार मार्गदर्शक एवं प्रशिक्षण तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा कैम्पस सलेक्शन।
- साहित्य विभूतियों के कृतियों का संग्रहण केन्द्र मुक्तिबोध स्मारक, दर्शनीय स्थल, त्रिवेणी परिसर एवं साहित्य मनीषियों के लिये सृजन संवाद।
- नक्सल पीड़ित एवं शतप्रतिशत विकलांग विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था।
- शासन से प्राप्त अनुदान से छात्रवृत्ति की सुविधा तथा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त को परीक्षा शुल्क में छूट।
- पाल्य के बारे में अकादमिक प्रगति की जानकारी हेतु पालक-प्राध्यापक सम्मेलन का नियमित आयोजन।
- परिसर में सुन्दर बॉटनिकल गार्डन की सुविधा।
- समुचित हवा एवं रोशनी युक्त 50 अध्ययन कक्ष।
- छात्र-छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राशासनिक ब्लाक, कार्यालयीन स्टाफ की सुविधा।
- प्रत्येक सत्र में सभी विभागों द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता अभियान के तहत शहर के पड़ोसी ग्रामों में विशेष जागरूक कार्यक्रमों का आयोजन।
- विज्ञान संकाय के तहत जैव-विविधता, नवीन वैज्ञानिक विषयों पर आधारित प्रदर्शनियों का आयोजन।
- छात्रों के लिए समय-समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु मार्गदर्शन "विशेष कोचिंग व्यवस्था।
- NET/SET, PSC, Vyapam, SSC आदि हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था।
- प्रवीण्यता प्राप्त विद्यार्थियों के उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति अवलोकन करने की सुविधा।
- गर्ल्स कॉमन कक्ष।
- महाविद्यालय का गोद ग्राम में जागरूकता एवं विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित।
- शिक्षक पालक संगोष्ठी आयोजित होती है।
- 'विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु हेल्प डेस्क सुविधा।
- अनुजाति एवं अनु. जन. जाति निःशुल्क स्टेशनरी एवं पाठ्यक्रम पुस्तके।
- दानदाताओं द्वारा प्रदत्त पाठ्य पुस्तकों का विद्यार्थियों को निर्गम।
- अनु. जाति, अनु. जन.जाति अन्य विछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले विद्यार्थियों के लिए बी.पी.एल., निर्धन, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा प्रवीण्यता प्राप्त विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति सुविधा।
- 10 से अधिक इन्टरेक्टिव बोर्ड युक्त स्मार्ट क्लास रूम।
- जिम की सुविधा।
- कैंटिन की सुविधा।
- मुख्य ग्रंथालय में संदर्भ ग्रंथों के जिरोक्स की सुविधा। कैम्पस में बॉस्केट बॉल, बैडमिन्टन. टेबल टेनिस की सुविधा।
- 100 सीटर बालक व 100 सीटर कन्या छात्रावास की सुविधा।

NEP 2020

NATIONAL EDUCATION POLICY-2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन तथा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छ.ग. के क्रमांक 144 (Four year under graduate for Autonomous College).

"Four year Undergraduate program (FYUGP) with multiple entry and exist under CBCS and LOCF for Autonomous College affiliated to University" को यथानुसार शासकीय दिग्विजय पीजी स्नातकोत्तर महाविद्यालय को सत्र 2022–23 से लागू किया गया है।

अतएव सत्र 2023–24 में प्रवेश NEP 2020 पाठ्यक्रम तथा अध्यादेश-144 के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा इनके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं-

❖ प्रवेश नियम एवं पात्रता

1. महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम सेमेस्टर पद्धति से संचालित होंगी। पूरा स्नातक पाठ्यक्रम चार वर्षीय होगा तथा क्रेडिट प्रणाली पर आधारित होगा।
2. महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाईन माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
3. प्रवेश की तिथि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अकादमिक कैलेंडर के अनुसार होगा तथा प्रवेश संबंधी नियम उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार होगा।
4. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के उच्चतर माध्यमिक (Higher Secendory 10+2) को पास करना अनिवार्य है तथा शासन द्वारा निर्धारित नियम एवं दिशा-निर्देशानुसार प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न होगी।
5. SC/ST/OBC/DA तथा महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण छ.ग. शासन के नियमानुसार दिया जाएगा।
6. शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के पूर्व हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में नामांकन फार्म भरना आवश्यक है।

Academic Bank of Credit(ABC)

(क्रेडिट के लिए अकादमिक बैंक) – NEP 2020 के अंतर्गत अध्ययन करने वाले समस्त विद्यार्थियों का ABC में पंजीयन कराना अनिवार्य है। नवप्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को ABC के पंजीयन हेतु abc.gov.in लिंक का प्रयोग कर पंजीयन करें।

Digilocker (डिजीलॉकर)

समस्त विद्यार्थी अपने समस्त दस्तावेज तथा सभी प्रकार के अंकसूची व प्रमाण पत्रों को डिजीटल फार्म में एक लॉकर की सहायता से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी digilocker.gov.in से वही मोबाईल नं. व पिन का प्रयोग करके जिसकी सहायता से ABC में पंजीयन किया गया है।

SWAYAM (Study web for Active learning for your aspiring minor)

सभी विद्यार्थी को SWAYAM पोर्टल में जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य रहेगा इसके लिए swayam.gov.in में जाकर अपनी Email ID का प्रयाग कर पंजीयन कराये इस प्लेट फार्म की सहायता से विद्यार्थी किसी भी प्रकार के डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स कर सकता है जो उसे पसंद है या उसके कोर्स में जिसकी आवश्यकता है।

NPTEL (National Programming on technology enhanced learning) -

nptel.ac.in की सहायता से पंजीयन किया जा सकता है इसमें भी देश सबसे 8 बड़ी संस्थान द्वारा निर्मित की गई पाठ्य सामग्री digital form में उपलब्ध है।

MOOCs (Massive open online courses) -

Swayam व NPTEL की तरह moocs भी digital platform है जिसकी सहायता से विद्यार्थी पंजीयन कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ugemoocs.inflibnet.ac.in लिंक का प्रयोग कर सकते हैं।

e-PGPathshala

यह study material की उपलब्धता हेतु digital platform है जहां सभी विषय की पाठ्य सामग्री pdf के रूप में प्राप्त होता है इसके लिए पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। epgp.inflibnet.ac.in का प्रयाग कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त सभी प्रकार के Link महाविद्यालय के website gdcr.ac.in में उपलब्ध है।

❖ Under Graduate curriculum framework (UGCF)

1. NEP 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्ष (8 सेमेस्टर) का होगा। यह पाठ्यक्रम क्रेडिट पद्धति पर आधारित होगा जिसमें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कौशल विकास, भाषा ज्ञान, भारतीय संस्कृति, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां इत्यादि शामिल किए जाएंगे।

❖ Course Structure

Appendix-II								
GOVT. DIGVIJAY AUTONOMOUS P.G. COLLEGE, RAJNANDGAON (C.G.)								
Website: www.gdcr.ac.in Email: principal@digvijaycollege.com Phone: 07744-225036								
Table : UGCF for Multidisciplinary Courses of Study								
Semester	Core (DSC)	Elective (DSE)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Compulsory Course (AECC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship/ Apprenticeship /Project (2)	Value addition Course (VAC)	Total Credits
I	Discipline 1 A-(4)		Choose one from a pool of courses GE-1 (4)	Choose one from pool of AECC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline 1 B-(4)							
	Discipline 1 C-(4)							
II	Discipline 2 A-(4)		Choose one from a pool of courses GE-2 (4)	Choose one from pool of AECC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline 2 B-(4)							
	Discipline 2 C-(4)							
Students on exit shall be awarded undergraduate certificate (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 44 credits in semester I and II								Total = 44 Credits
III	Discipline 3 A-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) Or Choose one from a pool of courses GE-3(4)		Choose one from pool of AECC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		Choose one from a pool of courses(2)	22 Credits
	Discipline 3 B-(4)							
	Discipline 3 C-(4)							
IV	Discipline 4 A-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) Or Choose one from a pool of courses GE-4(4)		Choose one from pool of AECC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
	Discipline 4 B-(4)							
	Discipline 4 C-(4)							
Students on exit shall be awarded undergraduate Diploma (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 88 credits on completion of semester IV								Total = 88 Credits
V	Discipline 5 A-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)		Choose one from a pool of courses GE-5 (4)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)			22 Credits
	Discipline 5 B-(4)							
	Discipline 5 C-(4)							
VI	Discipline 6 A-(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)		Choose one from a pool of courses GE-6 (4)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)			22 Credits
	Discipline 6 B-(4)							
	Discipline 6 C-(4)							
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 132 credits on completion of semester VI								Total = 132 Credits
VII	DSC-(4)	Choose three DSE(3x4) courses OR Choose two DSE-(2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 7,8 & 9(total=12)					Dissertation on Major(4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship(4+2)	22 credits
VIII	DSC-(4)	Choose three DSE(3x4) courses OR Choose two DSE-(2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 10, 11 & 12(total=12)					Dissertation on Major(4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship (4+2)	22 credits
students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honours or Honours with Academic Project/Entrepreneurship) after securing the requisite 176 credits on completion of Semester VIII								Total = 176 Credits

❖ विद्यार्थी उपस्थिति एवं परीक्षा में बैठने की पात्रता—

1. प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति पर परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

❖ परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति

1. प्रत्येक सेमेस्टर कुल 90 कार्य दिवस का होगा। विद्यार्थियों का सेमेस्टर के दौरान सतत मूल्यांकन (Continue Evaluation) करते हुए दो प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी।

अ. आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा (Internal Assessment-IA)

जिसमें कुल अंक का 20% अधिभार होगा।

ब. सेमेस्टर परीक्षा (End Semester Exam-ESE)

इस परीक्षा में कुल अंक का 80% अधिभार होगा।

दोनों खण्ड के प्राप्त अंक को जोड़कर परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।

2. प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम कम से कम 40% अंक प्राप्त करने पर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। (IA + ESE)

3. सेमेस्टर पद्धति का परीक्षा परिणाम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित होगा।

अ. Passed- ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने सभी प्रश्न पत्रों (Course) में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किया हो।

ब. Promoted- ऐसे परीक्षार्थी जो केवल दो प्रश्न पत्र (Course) में अनुत्तीर्ण हैं। (अर्थात् ATKT है)

नोट :- केवल Passed एवं Promoted (दो ATKT) वाले विद्यार्थी ही 2nd semester में Promote होंगे। परीक्षार्थियों का तीन या तीन से अधिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण हैं वे 3rd semester में Promote नहीं होंगे। ऐसे विद्यार्थी अगले सत्र के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा में भूतपूर्व परीक्षार्थी (Ex.Student) के रूप में सभी सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा दे सकते हैं।

❖ Promotion Rule

1. प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा उपरांत विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में अस्थायी (Provisional) प्रवेश दिया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश तभी मान्य होगा जब विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है एवं दो से अधिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण (ATKT) न हो।

2. द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा के उपरांत विद्यार्थी को तृतीय सेमेस्टर में अस्थायी (Provisional) प्रवेश दिया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश तभी मान्य होगा
अ. जब विद्यार्थी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा
ब. प्रथम सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण न हो तथा द्वितीय सेमेस्टर में भी 2 से अधिक प्रश्न पत्र में (ATKT) न हो।
3. तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा के उपरांत विद्यार्थी को चतुर्थ सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश तभी मान्य होगा जब विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हो अर्थात् प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण हो एवं द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण न हो।
4. चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा के उपरांत विद्यार्थी को पंचम सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। पंचम सेमेस्टर में प्रवेश तभी मान्य होगा जब विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो अथवा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर उत्तीर्ण हो और तृतीय एवं चतुर्थ में दो से अधिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण (ATKT) न हो।
5. पांचवे सेमेस्टर के परीक्षा के उपरांत छठवे सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। छठवे सेमेस्टर में प्रवेश तभी मान्य होगा जब विद्यार्थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो अथवा प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो और चतुर्थ सेमेस्टर में दो से अधिक एवं पंचम सेमेस्टर भी दो से अधिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण (ATKT) न हो।
6. सम सेमेस्टर (Even Semester) की ATKT की परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ तथा विषम सेमेस्टर (Odd Semester) को ATKT की परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ लिया जायेगा।
7. यदि परीक्षार्थी केवल पांचवे सेमेस्टर में ATKT है तब उनके लिये विशेष ATKT परीक्षा छठवे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ लिया जाएगा।
8. छठवे सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत जिन परीक्षार्थियों के छठवें सेमेस्टर में दो से अधिक ATKT नहीं है उनके लिए एक विशेष ATKT परीक्षा आयोजित की जाएगी।
9. प्रथम सेमेस्टर से लेकर छठवे सेमेस्टर तक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 7वें सेमेस्टर (स्नातक 4वर्षीय पाठ्यक्रम) में तभी प्रवेश दिया जाएगा जिनका CGPA 7.5 या उससे अधिक हो।

10. 7वें सेमेस्टर की परीक्षा के उपरांत 8वें सेमेस्टर में अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रवेश तभी मान्य होगा जब 7वें सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा 7वें सेमेस्टर में 2 से अधिक प्रश्न पत्र में **ATKT** न हो।
11. 8वें सेमेस्टर की परीक्षा के साथ एक विशेष **ATKT** परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें ऐसे विद्यार्थी शामिल होंगे जिनका 7वें सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण **ATKT** न हो।
12. विद्यार्थी को चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के पूर्व **Honours Course (Major) subject** का चुनाव करना होगा। महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के **Major Course** में मेरिट सीटों की उपलब्धता तथा प्रवेश नियम के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
13. विद्यार्थी अपने **Backlog** प्रश्नपत्र में भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। **Backlog** प्रश्न पत्र के परीक्षा अवसरों की संख्या **हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 144** के अनुसार होगा।
14. **Backlog** प्रश्नपत्र की गणना सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक प्रश्नपत्रों को अलग-अलग किया जाएगा।

नोट :- उपरोक्त नियम हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 144 "Four year Undergraduate program (FYUGP) with multiple entry and exist under CBCS and LOCF for Autonomous College affiliated to University" के प्रावधान अनुसार है। यदि अध्यादेश में किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन होता है तो महाविद्यालय द्वारा यथावत पालन किया जाएगा।

❖ परीक्षा परिणाम

1. प्रथम सेमेस्टर से लेकर 8वें सेमेस्टर तक उत्तीर्ण होने वाले तथा कम से कम 4.0 CGPA प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को चार वर्षीय **Honours Degree** प्रदान की जाएगी तथा श्रेणी (Division) निम्नानुसार निर्धारित होगा।
- 2- i. First Division with distinction: CGPA ≥ 7.50
ii. First Division : CGPA ≥ 6.00 , but < 7.50
iii. Second Division : CGPA ≥ 4.5 but < 6.00
iv. Third Division: CGPA ≥ 4 but < 4.5

3- Grades and their numeric equivalent.

Letter Grade	% Range of Marks	Grade Point (g)	Description of Performance
O	>90 to ≤ 100	10	Outstanding
A+	>80 to ≤ 90	9	Excellent
A	>70 to ≤ 80	8	Very Good
B+	>60 to ≤ 70	7	Good
B	>50 to ≤ 60	6	Above Average
C	>40 to ≤ 50	5	Average
P	= 45	4	Pass
F	< 40	0	Fail
Ab	Absent	0	Fail
WH			withheld
C. – Carred forward grade from previous exam.			U.F.M. = Cancelled under Unfair Mean

महाविद्यालयीन परीक्षा समय सारिणी

वार्षिक परीक्षाएँ (स्नातक स्तर)

(बी.ए., बी.काम, बीएससी, बीसीए)

वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा— फरवरी माह में

वार्षिक सैध्दांतिक परीक्षा— मार्च माह में

सेमेस्टर परीक्षाएँ (स्नातकोत्तर स्तर)

(बी.ए., बी.काम, बीएससी, बीसीए, एम.ए., एमएससी, एम कॉम, पीजीडीसीए, डीसीए), एमएसडब्ल्यू

प्रथम व तृतीय सेमेस्टर

प्रायोगिक परीक्षा – नवम्बर माह के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में

प्रीपरेशन लीव – नवम्बर माह के अंतिम सप्ताह में

सैध्दांतिक परीक्षा – दिसंबर माह में

द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर

प्रायोगिक परीक्षा – अप्रैल माह के द्वितीय/तृतीय सप्ताह में

प्रीपरेशन लीव – अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में

सैध्दांतिक परीक्षा – मई माह में

नोट – विशेष परिस्थितियों में उक्त परीक्षा तिथियों में संशोधन का अधिकार प्राचार्य को होगा।

अकादमिक कार्य	स्नातक/स्नातकोत्तर/स्वशासी (I/III/V/VII/IX सेमेस्टर)	स्नातक/स्नातकोत्तर/स्वशासी (II/IV/VI/VIII/X सेमेस्टर)
प्रवेश प्रक्रिया	16 जून से 30 जून 2023 तक	—
कक्षाओं का आरंभ	1 जुलाई 2023 से	02 जनवरी 2024 से
प्रायोगिक परीक्षाएँ	02 से 11 नवम्बर 2023 तक	15 से 24 अप्रैल 2024 तक
परीक्षा पूर्व तैयारी	13 नवम्बर से 20 नवम्बर 2023 तक	25 अप्रैल 2024 से 01 मई 2024 तक
लिखित परीक्षाएँ	24 नवम्बर 2023 से	02 मई 2024 से
परीक्षा परिणाम	01 जनवरी 2024 तक	15 जून 2024 तक

महाविद्यालय का नाम— शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

शैक्षणिक सत्र 2023–24

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा का नाम	संकाय/विषय समूह का नाम	स्वीकृत सीट संख्या
1	शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)	B.A. -01	Art	550
2		B.Com -01	Commerce	500
3		B.Sc. (Bio) -01	Science	500
4		B.Sc. (Maths) -01	Science	300
5		BCA -01	Science	60
6		DCA	Diploma in Computer Application	60
7		Diploma in Financial Accounting using Tally	Diploma in Financial Accounting using Tally	25
8		M.A. (Economics) 1st Sem	Art	50
9		M.A. (English) 1st Sem	Art	50
10		M.A. (Geography) 1st Sem	Art	25
11		M.A. (Hindi) 1st Sem	Art	50
12		M.A. (History) 1st Sem	Art	50
13		M.A. (Political Science) 1st Sem	Art	50
14		M.A. (Sanskrit) 1st Sem	Art	50
15		M.A. (Sociology) 1st Sem	Art	50
16		M.Com 1st Sem	Commerce	100
17		M.S.W. 1st Sem	Art	25
18		M.Sc. (Biotechnology) 1st Sem	Science	30

19		M.Sc. (Botany) 1st Sem	Science	30
20		M.Sc. (Chemistry) 1st Sem	Science	30
21		M.Sc. (Computer Science) 1st Sem	Science	30
22		M.Sc. (Maths) 1st Sem	Science	60
23		M.Sc. (Microbiology) 1st Sem	Science	30
24		M.Sc. (Physics) 1st Sem	Science	30
25		M.Sc. (Zoology) 1st Sem	Science	30
26		PG Diploma in Yoga Education and Philosophy	PG Diploma in Yoga Education and Philosophy	50
27		PGDCA	Post Graduate Diploma in Computer Application	50

Govt. Digvijay Autonomous PG College, Rajnandgaon

FYUGP Under NEP 2020
(CBCS/LoCF Course)

GROUP OF SUBJECTS AND COMBINATIONS FOR B.A. (wef. session 2023-24)

Sr.No.	Group	MAJOR-1 (DSC-1)	MAJOR-2 (DSC-2)		MAJOR-3 (DSC-3) (Any One)
1	Group-1	POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY	i	ENGLISH LITERATURE
2		POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY	ii	HINDI LITERATURE
3		POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY	iii	HOME SCIENCE
4		POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY	iv	PHILOSOPHY
5		POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY	v	PSYCHOLOGY
6		POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY	vi	SANSKRIT LITERATURE
7	Group-2	SOCIOLOGY	HISTORY	i	ENGLISH LITERATURE
8		SOCIOLOGY	HISTORY	ii	HINDI LITERATURE
9		SOCIOLOGY	HISTORY	iii	HOME SCIENCE
10		SOCIOLOGY	HISTORY	iv	PHILOSOPHY
11		SOCIOLOGY	HISTORY	v	SANSKRIT LITERATURE
12	Group-3	HISTORY	ECONOMICS	i	ENGLISH LITERATURE
13		HISTORY	ECONOMICS	ii	HINDI LITERATURE
14		HISTORY	ECONOMICS	iii	PSYCHOLOGY
15		HISTORY	ECONOMICS	iv	SANSKRIT LITERATURE
16	Group-4	ECONOMICS	HINDI LITERATURE	i	HOME SCIENCE
17		ECONOMICS	HINDI LITERATURE	ii	POLITICAL SCIENCE
18		ECONOMICS	HINDI LITERATURE	iii	PSYCHOLOGY
19		ECONOMICS	HINDI LITERATURE	iv	SOCIOLOGY
20	Group-5	HINDI LITERATURE	GEOGRAPHY	i	ECONOMICS
21		HINDI LITERATURE	GEOGRAPHY	ii	HISTORY
22		HINDI LITERATURE	GEOGRAPHY	iii	POLITICAL SCIENCE
23	Group-6	GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	i	ENGLISH LITERATURE
24		GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	ii	HISTORY
25		GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	iii	PHILOSOPHY
26		GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	iv	SANSKRIT LITERATURE

नोट:- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उपर्युक्त 6 मुख्य विषय समूहों में से किसी एक विषय समूह का चयन करना होगा जिसमें **Major-1** एवं **Major-2** अनिवार्य विषय होगा तथा **Major-3** में से किसी एक विकल्प का चयन करना होगा।

GROUP OF SUBJECTS AND COMBINATIONS FOR B.A. (wef. session 2023-24)

Total No of Seat – 550

GROUP OF SUBJECTS AND COMBINATIONS FOR **B.Sc.** (wef. session 2023-24)

Total No of Seat – **500+300 = 800**

1	DSC-1	DSC-2	DSC-3	Program Code	No. of Seat
1	Mathematics	Physics	Chemistry	MPCh	300
2	Mathematics	Physics	Computer Science	MPCc	
3	Mathematics	Physics	Geology	MPGe	
4	Mathematics	Physics	Industrial Chemistry	MPIc	
5	Mathematics	Chemistry	Industrial Chemistry	MChIc	
6	Chemistry	Zoology	Botany	ChZBo	500
7	Chemistry	Botany	Biotechnology	CBBt	
8	Chemistry	Zoology	Microbiology	ChZMb	
9	Chemistry	Zoology	Geology	ChZGe	
10	Chemistry	Zoology	Industrial Fish & Fisheries	ChZiff	
11	Chemistry	Zoology	Anthropology	ChZA	
12	Chemistry	Industrial Chemistry	Zoology	ChIcZ	
13	Industrial Chemistry	Zoology	Botany	IcZBo	

नोट:- स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को उपर्युक्त 13 मुख्य विषय समूहों में से किसी एक विषय समूह का चयन करना होगा जिसमें **DSC-1, DSC-2** एवं **DSC-3** अनिवार्य विषय होगा

1. B.Com. (All Compulsory Courses) (wef. session 2023-24) 2. B.Com. (All Compulsory Courses with Computer Application)	Total No of Seat – 500
B.C.A. (All Compulsory Courses)	Total No. of Seats - 60

Note – प्रत्येक सेमेस्टर में सभी विद्यार्थियों को उपरोक्त **Courses** में 3 DSC के अतिरिक्त विद्यार्थियों को निम्नलिखित **course** भी पढ़ना अनिवार्य है

1. **AECC** (Ability Enhancement Compulsory course)
2. **GE** (Generic Open Elective)
3. **SEC** (Skill Enhancement course)
4. **VAC** (Value Addition Course)

इन विषयों का वितरण प्रवेश उपरान्त किया जाएगा

स्नातक प्रथम सेमेस्टर के कोर्स संरचना का सैंपल (नमूना) निम्नानुसार है

Course Module for 4 years UGCF - CBCS Course							
Module – B.A-I semester (Group-I)							
Minimum Passing Marks - 40%							
	Course	Course Name	Credits	Credits (L+T+P)	Internal Marks	ESE Max. Marks	Total Marks
I	DSC-IA	Hindi	4	3+1+0	20	80	100
	DSC-IB	Economics	4	3+1+0	20	80	100
	DSC-IC	Philosophy	4	3+1+0	20	80	100
	GE	Choose one from pool of GE	4	3+1+0	20	80	100
	SEC	Choose one from pool of SEC	2	2+0+0	10	40	50
	AECC	Environmental Science	2	2+0+0	10	40	50
	VAC	Choose one from pool of VAC	2	2+0+0	10	40	50
		Total	22				550

BCA- I Semester								
Minimum Passing Marks - 40%								
	Course	Course-code	Course Name	Credits	Credits (L+T+P)	Internal Marks	ESE Max. Marks	Total Marks
I	DSC-I	UBCCT101	Computer Fundamental	4	3+1+0	20	80	100
	DSC-II	UBCCT102	Programming in C	3	3+0+0	20	80	100
		UBCCL102	Lab C	1	0+0+1	10	40	50
	DSC-III	UBCCT103	Discrete Mathematics	4	3+1+0	20	80	100
	GE-I	UBCGT104	Multimedia & Applications	3	3+0+0	20	80	100
		UBCGL104	Multimedia Lab	1	0+0+1	10	40	50
	SEC-I	UBCSE105	Electronic Equipment Maintenance	2	2+0+0	10	40	50
	AECC-I	UBCAE104	Foundation Course	2	2+0+0	10	40	50
	VAC-I	UBAEC001	Choose one from pool of VAC	2	2+0+0	10	40	50
		TOTAL	22				650	

Module – B.Com-I semester								
Minimum Passing Marks - 40%								
	Course	Course Code	Course Name	Credits	Credits (L+T+P)	Internal Marks	ESE Max. Marks	Total Marks
I	DSC-I	UBMCT101	Financial Accounting	4	3+1+0	20	80	100
	DSC-II	UBMCT102	Business Law	4	3+1+0	20	80	100
	DSC-III	UBMCT103	Business Communication-I	4	3+1+0	20	80	100
	GE-I	UBMLG104	Choose one from pool of GE	4	3+1+0	20	80	100
	SEC-I	UBMSE105	Business Environment-I	2	2+0+0	10	40	50
	AECC-I	UBMAE106	Environment Science	2	2+0+0	10	40	50
	VAC-I	UBAEC001	Choose one from pool of VAC	2	2+0+0	10	40	50
			Total	22				550

**B.Sc.-I semester (Maths Group)
(Mathematics, Physics, Geology)**

Minimum Passing Marks - 40%

	Course	Course Code	Course Name	Credits	Credits (L+T+P)	Internal Marks	ESE Max. Marks	Total Marks
I	DSC-I A	UBSCT101	Mathematics	4	3+1+0	20	80	100
	DSC-I B	UBSCT102	Physics	3	3+0+0	20	80	100
		UBSCL102	Physics Lab	1	0+0+1	10	40	50
	DSC-I C	UBSCT105	Geology	3	3+0+0	20	80	100
		UBSCL105	Geology Lab	1	0+0+1	10	40	50
	GE	UBSGT104	Choose one from pool of GE	3	3+0+0	20	80	100
		UBSGL104	Choose one from pool of GE	1	0+0+1	10	40	50
	SEC		Choose one from pool of SEC	2	2+0+0	10	40	50
	AECC	UBSAE113	English language	2	2+0+0	10	40	50
VAC	UBAEC001	Choose one from pool of VAC	2	2+0+0	10	40	50	
Total				22				700

**Module – B.Sc-I semester (Bio Group)
(Zoology, Botany, Chemistry)**

Minimum Passing Marks - 40%

Group-I	Course	Course Code	Course Name	Credits	Credits (L+T+P)	Internal Marks	ESE Max. Marks	Total Marks
I	DSC-I A	UBSCT103	Chemistry	3	3+0+0	20	80	100
		UBSCT103	Chemistry Lab.	1	0+0+1	10	40	50
	DSC-I B	UBSCT107	Botany	3	3+0+0	20	80	100
		UBSCL107	Botany-Lab	1	0+0+1	10	40	50
	DSC-I C	UBSCT108	Zoology	3	3+0+0	20	80	100
		UBSCL108	Zoology lab	1	0+0+1	10	40	50
	GE	UBSGT106	Choose one from pool of GE	3	3+0+0	20	80	100
		UBSGL106	Choose one from pool of GE	1	0+0+1	10	40	50
	SEC		Choose one from pool of SEC	2	2+0+0	10	40	50
	AECC	UBSAE113	English language	2	2+0+0	10	40	50
	VAC	UBAEC001	Choose one from pool of VAC	2	2+0+0	10	40	50
	Total Credit				22			

**रोजगार उन्मुखी / स्ववित्तीय पाठ्यक्रम
(Job Oriented/Self Financing Courses)**

क्रं	कोर्स / विषय	उपलब्ध सीटें	प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त देय जनभागीदारी मद शुल्क	न्यूनतम योग्यता	अवधि
1	एमएससी बायोटेक्नालाजी	25	15000 / – प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातक	2 वर्ष (चार सेमस्टर)
2	एमएससी माइक्रोबायलाजी	25	15000 / – प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातक	2 वर्ष (चार सेमस्टर)
5	एम.एस.डब्ल्यू (मास्टर ऑफ सोशल वर्क)	40	15000 / – प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	स्नातक	2 वर्ष (चार सेमस्टर)
6	बी.सी.ए.	60	10000 / – प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3 वर्ष
8	बी काम विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	100	3000 / – प्रतिवर्ष (एकमुश्त देय)	बारहवीं	3 वर्ष

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत 2023-24

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 06 एवं 07 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2 प्रवेश की तिथि :-

- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना : - आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किए जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किए जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किए जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावेंगे।
- 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 1 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से दस दिन तक अथवा विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से पन्द्रह दिन तक जो भी पहले, मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरण होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये, किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक (क) ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक (ख) ने स्थान (अ) के जहाँ उसके पालक कार्यरत् थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य सकांयों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के पन्द्रह दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु विधि सकांय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं, तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “**उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्चशिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।**”
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सक्शन (अधिकतम 04 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्ताकों एवं जहाँ अधिभार देय है वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्ताकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किए जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर “**प्रवेश दिया गया**” की मुहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिए।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- (एक सौ रुपये) अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट, जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग / अनुशासनहीनता / तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्चशिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.9.2014 के अनुसार “राज्य शासन एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है” का पालन किया जाये।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक सगंठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाये।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला सकांय के आवेदकों को विज्ञान सकांय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एससी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी सकांय के उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों के क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.काम./बी.एससी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/एम. एससी (गृह विज्ञान)/एम.ए. पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एससी, उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एससी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय क स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पध्दति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु **ATKT (Allowed to Keep Term)** नियम –

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में **ATKT (Allowed to Keep Term)** नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 **विधि सकांय नियमित प्रवेश :-**

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को **कमशः** एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.4 **प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-**

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 50 प्रतिशत) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश दिया जायेगा।

(ख) **AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA** से

अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश /संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे

6. **समकक्ष परीक्षा :-**

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन काउंसिल फॉर सेकण्डरी एजुकेशन (आईसीएसई) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडियट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ़ युनिवर्सिटी) के सदस्य है, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (इग्नू को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, कि परीक्षाएँ मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ़ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा एसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्वशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013

(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार—

काशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव ससांधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्चशिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को

अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी, बी.एच.एससी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है, किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम, द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे । राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली परीक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीग्रेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कंडिका 07 के खण्ड 01 एवं 02 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 8.5 परूक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएँ :-

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो, तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों /अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/ रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे

9.4 प्रवेश हेतु आयु सीमा :-

- (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वाध्व/प्रथम समेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष की एक जुलाई की स्थिति में की जावेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व /प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/ महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदन होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा :-

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि सकांय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उत्तीर्ण परंतु 48 प्रतिशत एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये। अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिले की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाय। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदश के छात्रों को पूरे प्रदश में प्रवेश की पात्रता होगी।
- 11.5 परंतु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा। किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् :-
- (क) अध्ययन या सकांय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ख) अध्ययन या सकांय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या सकांय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।

परंतु, जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परंतु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वधर (वर्टिकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण का प्रतिषत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्रं. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति उर्ध्वधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिए 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी। परंतु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी सवर्ग जैसे –स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो सवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष सवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा $1/2$ प्रतिशत एव एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्ययीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में धारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि – “We direct the centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ सलंगन करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./ एन.एस.एस./ स्काउट्स :-

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/ गाइड्स/ रेन्जर्स/ रावर्स के अर्थ में पढ़ा जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. “ए” सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. “बी” सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	“सी” सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परडे में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कन्टिजेंट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	05 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लने 15 प्रतिशत वाले कैडेट्स एन.सी.सी./एन.एस.एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट्स को/ अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी में चयनित विद्यार्थी को

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लने पर

10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिता—

1. लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर पर प्रतियोगिता में

(क) प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

2. उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में —

(क) प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित तथा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्चेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने

वाले दल के सदस्यों को

10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को	01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एनसीसी/खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी. सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि -

1. इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं
2. यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी, जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 05 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक होंगे।

15. शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पीएचडी के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 04 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शाधे छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शाधे कार्य संपादन करेंगे अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शाधे छात्र के रूप में कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में शाधे छात्र ऐसी संस्था में अपना शाधे कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शाधे आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था शाधे कार्य पूर्ण जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे

16. विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार/दायित्व प्राचार्य का होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 09.2 एवं 09.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किए जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिध्दांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण के अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार – आयुक्त उच्च शिक्षा को है। इन मार्गदर्शक सिध्दांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन/उच्च शिक्षा विभाग/मंत्रालय को होगा।

शासकीय / अशासकीय प्रवेश शुल्क सूची सत्र 2023-24

ए.एफ.	–	सम्मिलित निधि	32
		विकास शुल्क	150
		स्नेह सम्मेलन	50
		निर्धन सहायता	5
		छात्रसंघ	5
पी.डी.	–	अवधान राशि	100
		चिकित्सा	10
		पुस्तकालय	70
		परिचय शुल्क	35
		छात्रा कक्ष	40
		पोर्टल शुल्क	50
		सायकल स्टेण्ड	140
		स्थानीय परीक्षा	50
		छात्र कल्याण	40
		रेडक्रास	40
		शारीरिक कल्याण	150
		रिडींग रूम	40
		महा.पत्रिका	70
		व्यक्तित्व विकास / एकेडमिक शुल्क	50
		प्रायोगिक शुल्क	275
		पी.एच.डी.	2500

		जनभागीदारी शुल्क	500
--	--	------------------	-----

स्वशासी परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है

S. N.	Class	Exam Fee
1	B.Sc. (Annual Exam)	1080=00
2	B.Sc. Semester Exam (Per Semester)	1080=00
3	B.Com. (Annual Exam)	1080=00
4	B.Com. Semester Exam (Per Semester)	1080=00
5	B.A. (Annual Exam)	1080=00
6	B.A. Semester Exam (Per Semester)	1080=00
7	B.C.A. (Annual Exam)	1630=00
8	B.C.A. Semester Exam (Per Semester)	1630=00
9	DCA/PGDCA/YOGA/TALLY (Per Semester)	1230=00
10	M.Sc. All Subject (Without Computer Science)	1080=00
11	M.Sc. Computer Science	1430=00
12	M.A. Geography	1080=00
13	M.Com.	1030=00
14	M.A. All Subject (Without)	1030=00
15	M.S.W.	1230=00

नोट: -

1. स्नातक बी.ए. भूगोल विषय के विद्यार्थी हेतु 50.00 (पचास रुपये) अतिरिक्त शुल्क देय होगा |
2. स्नातकोत्तर के किसी भी विषय में यदि प्रोजेक्ट का प्रावधान है तो उसके परीक्षा शुल्क में 200.00 रु. (दो सौ रुपये) अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है |
3. सभी एड-ऑन कोर्स की परीक्षा शुल्क 250.00 रुपये निर्धारित किया गया है |
4. स्नातक तथा स्नातकोत्तर के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित अंतिम तिथि से आगामी एक सप्ताह तक 200.00(दो सौ रुपये) तथा उसके पश्चात 500.00 (पांच सौ रुपये) होगा |
5. पूरक तथा ATKT शुल्क 750.00 रुपये है |

नोट: परीक्षा शुल्क में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विशेषाधिकार प्राचार्य के पास संरक्षित है |

महाविद्यालय छात्रावास में प्रवेश नियमावली व शुल्क का विवरण

छात्रावास

बालक छात्रावास- यह नवनिर्मित छात्रावास, पेंड्री में मेडिकल कॉलेज समीप स्थित है | सर्व-सुविधायुक्त इस छात्रावास का शुभारंभ सत्र 2022-23 से हुआ है | छात्रावास में 100 छात्रों के रहने की व्यवस्था है | वार्षिक शुल्क 10,000 रुपये प्रति छात्र है | शहर से 5 km से अधिक दूरी पर रहने वाले विद्यार्थी बालक छात्रावास में प्रवेश के पात्र है |

कन्या छात्रावास- यह नवनिर्मित छात्रावास, दिग्विजय कॉलेज परिसर के ठीक सामने स्थित है | सर्व-सुविधायुक्त इस कन्या छात्रावास का शुभारंभ सत्र 2022-23 से हुआ है | छात्रावास में 100 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है | वार्षिक शुल्क 10,000 रुपये प्रति है | मेस शुल्क 1200 (लगभग ,प्रति माह) है| शहर से 5 km से अधिक दूरी पर रहने वाले विद्यार्थी कन्या छात्रावास में प्रवेश के पात्र है |

छात्रावास में प्रवेश हेतु नियम एवं शर्तें

1. छात्रावास में केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश दिया जाता है अतएव प्रत्येक सत्र में नवीन आवेदन करना होगा। छात्रावास अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का छात्र पालन करेंगे।
2. छात्रावास में छात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के ठहरने की अनुमति नहीं है। इसका उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर अर्थदण्ड से लेकर निष्कासन की कार्यवाही हेतु अधीक्षक अधिकृत होंगे।
3. रैगिंग की गतिविधियों में संलग्न पाये जाने पर छात्र छात्रावास से तत्काल निष्कासन एवं दण्ड के भागीदार होंगे।
4. छात्रावास में तम्बाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
5. कमरे का आवंटन निर्धारित शुल्क की रसीद छात्रावास अधीक्षक को दिखाने के बाद किया जायेगा।
6. छात्रावास में प्रवेशित छात्र यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसका छात्रावास से प्रदेश स्वयमेव निरस्त हो जायेगा।
7. छात्र को छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य सुविधाओं जैसे- कूलर हीटर कम्प्यूटर इत्यादि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

स्वशासी परीक्षा प्रणाली हेतु सामान्य निर्देश

सत्र 2006-07 से सभी एम.ए./एम.कॉम/एम.एससी. की कक्षाओं में सेमेस्टर प्रणाली शासन द्वारा लागू की गई है। सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर में पूर्ण होगा। इस तरह दो वर्षों में कुल 04 सेमेस्टर देने के पश्चात् ही छात्र-छात्राएँ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करेंगे पीजीडीसीए एवं एम.लिब आईएससी के पाठ्यक्रम एक वर्ष अर्थात् दो सेमेस्टर में पूर्ण होंगे। नियम :-

- (1) स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन एवं सैध्दांतिक प्रश्न पत्रों में अहर्ताक (Qualifying marks) 20% अर्थात् 20 में से 04 तथा 80 में से 16 अंक पृथक-पृथक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (2) स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सैध्दांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक-पृथक रूप से कुल (एग्ग्रेगेट) 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- (3) अधिकतम तीन अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में ATKT (Allow To Keep Term) की पात्रता होगी जिसके लिये मुख्य सेमेस्टर परीक्षा के अतिरिक्त केवल दो ही अवसर दिये जायेंगे।
- (4) प्रथम सेमेस्टर में बैकलॉग / ATKT (Allow To Keep Term) आने पर द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी।
- (5) किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर / ATKT आने पर अगली सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ आयोजित परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी। इसमें पुनः अनुत्तीर्ण होने / ATKT होने पर अगली परीक्षा में मुख्य परीक्षा के साथ Last Chance की पात्रता होगी।
- (6) प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण / ATKT होने पर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा। पूर्व सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।
- (7) ATKT (Allow To Keep Term) प्राप्त प्रश्न पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन के पूर्व में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे।
- (8) स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा में ATKT प्राप्त परीक्षार्थियों के द्वारा अर्जित किए गए उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत मान्य होंगे।
- (9) स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं होगी, लेकिन पुनर्गणना की अनुमति होगी
- (10) स्नातक स्तर की परीक्षा में दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन की पात्रता नहीं होगी।

- (11) स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम ग्रेडिंग पध्दति से जारी किया जाएगा। इसके अनुसार उनकी अकंसूची में ग्रेड प्वाइंट्स (SGPA तथा CGPA) एवं क्रेडिट प्वाइंट्स का उल्लेख किया जाएगा।
- (12) B.C.A. के वे छात्र जिन्होंने 12 वीं की परीक्षा में गणित समूह नहीं लिया था, उन्हें ब्रिज कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
- (13) परीक्षा में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार का अनुचित लाभ लेने तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गभीर दुराचरण माना जाएगा।
- (14) उच्चशिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन/दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के निर्देशानुसार सत्र 2023-24 में स्नातक स्तर के सभी संकायों के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को आंतरिक परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन परीक्षाओं के 10 प्रतिशत अंक मुख्य वार्षिक परीक्षा के अंकों के साथ जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए महाविद्यालय में नियमित रूप से निम्नलिखित पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन किया जाता है। अकादमिक कैलेंडर में विभिन्न आयोजनों की समय सारणी का अवलोकन किया जा सकता है |

क्रीड़ा :- प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित क्रीड़ा समिति खेल गतिविधियों का संचालन करती है। शासन द्वारा खेल प्रशिक्षण हेतु एक राजपत्रित क्रीड़ा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों का प्रशिक्षण व संचालन किया जाता है |

(क) आउटडोर :-

1. हॉकी 2. फुटबॉल 3. क्रिकेट 5. बैडमिंटन 6. कबड्डी 7. खो-खो 8. हेण्डबॉल 9. नेट बॉल 10. वॉलीबॉल 11. बॉल बैडमिंटन 12. बास्केटबॉल

(ख) इनडोर –

1. टेबल टेनिस 2. कैरम 3. शतरज

एन.सी.सी. (आर्मी एवं नेवल)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को सैनिक जीवन व अनुशासन की शिक्षा देने के लिए छात्र सेना की व्यवस्था की गई है। सम्प्रति महाविद्यालय में छात्र व छात्राओं की पृथक दो कंपनियाँ हैं जिन्हें सेना के कुशल अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षित विद्यार्थी पर्वतीय प्रशिक्षण, आर्मी अटेचमेंट शिविर, राष्ट्रीय एकता शिविर गणतंत्र दिवस परेड आदि कार्यक्रमों में सफलता व विशेष यश अर्जित कर महाविद्यालय को गौरवान्वित करते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना

(एन.एस.एस.) छात्र-छात्राओं को रचनात्मक समाज सेवा व जनकल्याण कार्यों का प्रशिक्षण देने के ध्येय से स्थापित एन. एस. एस. की दो सक्रिय ईकाइयों महाविद्यालय में कार्यरत हैं। ब्लड डोनेशन, सोशल अवेयरनेस कैम्प, स्वास्थ्य कैम्प, वृक्षारोपण व ग्राम सेवा जैसे समाज सेवा के कार्यों द्वारा विद्यार्थी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर महाविद्यालय के लिए यश अर्जित करते हैं। एन.एस.एस. की दो यूनिट में लगभग 300 छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम

महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु हर शनिवार - महाविद्यालय सभागार में तात्कालिक भाषण, क्विज, पोस्टर / स्लोगन, निबंध आदि प्रतियोगिताएं कक्षावार आयोजित की जाती हैं। समय-समय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा सामान्य ज्ञान व्यक्तिगत विकास इंटरव्यू कम्प्यूनिवेशन स्किल, योग नागरिक सुरक्षा आदि से संबंधित वर्कशाप / सेमीनार आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय के सूचना पटल पर आयोजन संबंधी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इन कार्यक्रमों से महाविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण रोचक व उत्साहवर्धक बना रहता है।

कैरियर काउंसिलिंग एण्ड प्लेसमेंट सेल

विगत कई वर्षों से महाविद्यालय का प्लेसमेंट सेल विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा कैम्पस इंटरव्यू आयोजित कर विद्यार्थियों को रोजगार सुलभ करवाने हेतु कार्यरत है। विप्रो, आई.सी.आई.सी.आई. एच.डी. एफ. सी. बजाज एलाएन्स, एपेक्स केमिकल्स, बाल्को, एशियन पेंट्स, वेदांता समूह, एल एण्ड टी, महेन्द्रा फायनेंस आदि कई बड़ी कंपनियों के अब तक कैम्पस इंटरव्यू आयोजित किए हैं, जिनसे अनेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

युवा उत्सव

साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए चित्रकला, गीत, नृत्य, नाटक, एकल अभिनय, काव्य पाठ, निबंध लेखन, आदि की चयन प्रतियोगिताएं अगस्त / सितम्बर के बीच आयोजित की जाती हैं। चयनित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय तथा पूर्वी क्षेत्र अंतर्महाविद्यालयीन युवा उत्सव में भेजा जाता है।

यूथ रेड क्रास सोसायटी

विद्यार्थियों में मानव सेवा का भाव जागृत करने हेतु महाविद्यालय में यूथ रेडक्रास सोसायटी की इकाई संचालित है। इसकी गतिविधियों में रक्तदान शिविर, ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान आयोजित करना प्रमुख है।

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाव
महाविद्यालय वार्षिक अकादमिक कैलेंडर
 2023-24

जून 2023

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	05.06.2023 से 01.07.2023	स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ	महाविद्यालय
2	16.06.2023 से 01.07.2023	प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों हेतु का इंडक्शन प्रोग्राम	महाविद्यालय

जुलाई 2023

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	01.07.2023	स्नातक कक्षाओं का संचालन प्रारंभ	समस्त संकाय
2	11.07.2023 से 13.07.2023	महाविद्यालय स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय कार्यक्रम	IQAC सेल
3	11.07.2023	विश्व जनसंख्या दिवस	भूगोल विभाग
4	10.07.2023 से 20.07.2023	वृक्षारोपण कार्यक्रम	समस्त विभाग एवं समितियां
5	24.07.2023	आयकर दिवस	वाणिज्य विभाग
6	26.07.2023	कारगिल विजय दिवस	NCC
7	तृतीय सप्ताह	Health & Hygiene पर एक दिवसीय कार्यशाला	महिला प्रकोष्ठ
8	प्रथम सप्ताह	Physical Fitness पर एक दिवसीय कार्यशाला	क्रीड़ा समिति
9	तृतीय सप्ताह	Research Methodology पर सात दिवसीय कार्यशाला	रिसर्च समिति एवं IQAC सेल
10	चतुर्थ सप्ताह	Ragging & Sexual Harassment निवारण पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	अनुशासन समिति , एंटी-रैगिंग समिति , ग्रीवांस एवं रेड्रेसल सेल
11	चतुर्थ सप्ताह	Alumni-Professors Meet	IQAC सेल
12	चतुर्थ सप्ताह	Alumni-Professors Meet	IQAC सेल

अगस्त 2023

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	द्वितीय सप्ताह	स्वतंत्रता पखवाड़ा	NCC, NSS, MSW
2	12.08.2023	अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस	NCC, NSS, YRC
3	15.08.2023	स्वतंत्रता दिवस	संपूर्ण महाविद्यालय
4	20.08.2023	सांप्रदायिक सद्भावना दिवस	संपूर्ण महाविद्यालय

5	अंतिम सप्ताह	छात्रसंघ गठन एवं चुनाव प्रक्रिया	छात्र संघ समिति
6	तृतीय सप्ताह	अभिमुखीकरण कार्यक्रम	IQAC सेल एवं समस्त संकाय
7	तृतीय सप्ताह	विद्यार्थियों के लिए योग पर तीन दिवसीय ट्रेनिंग कार्यशाला	योग विभाग
8	प्रथम सप्ताह	Physical Fitness पर एक दिवसीय कार्यशाला	क्रीड़ा समिति
9	अंतिम सप्ताह	स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए समूह परिचर्चा	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
10	द्वितीय सप्ताह	Skill development training पर सात दिवसीय कार्यशाला	गृह विज्ञान कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र कॉमर्स अंग्रेजी
11	प्रथम सप्ताह	छात्र शिकायत निवारण पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम	ग्रीवांस एवं रेड्रेसल सेल
12	29.08.2023	राष्ट्रीय खेल दिवस	क्रीड़ा समिति

सितम्बर 2023

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	प्रथम सप्ताह	महिला उद्यमिता जागरूकता शिविर	महिला प्रकोष्ठ
2	05.09.2023	शिक्षक दिवस	संपूर्ण महाविद्यालय
3	08.09.2023	अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	अंग्रेजी विभाग
4	14.09.2023	हिंदी दिवस	हिंदी विभाग
5	15.09.2023	अभियंता दिवस/ विश्वेश्वरैया जयंती	गणित/ भौतिक शास्त्र विभाग
6	16.09.2023	विश्व ओजोन दिवस	रसायन शास्त्र विभाग
7	21.09.2023	अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस	NSS एवं विभाग
8	27.09.2023	विश्व पर्यटन दिवस	इतिहास एवं भूगोल विभाग
9	द्वितीय सप्ताह	छात्रसंघ शपथ ग्रहण समारोह	छात्रसंघ समिति
10	तृतीय सप्ताह	१० दिवसीय संस्कृत सम्भाषण कार्यशाला	संस्कृत विभाग
11	अंतिम सप्ताह	छात्रसंघ आंतरिक समिति गठन	छात्रसंघ समिति
12	द्वितीय सप्ताह	अतिथि व्याख्यान, अंतर्विभागीय व्याख्यान, Trends & in Technologies जागरूकता पर कार्यशाला	समस्त विभाग

13	तृतीय सप्ताह	Health & Hygiene पर एक दिवसीय कार्यशाला	महिला प्रकोष्ठ, Red Cross, Red Ribbon
14	तृतीय या अंतिम सप्ताह	समस्त स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए Power Point Presentation	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
15	द्वितीय सप्ताह	उद्यमिता पर सात दिवसीय कार्यशाला	रोजगार एवं मार्गदर्शन सेल, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण सेल
16	संपूर्ण माह	NET/SET Coaching	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
17	तृतीय सप्ताह	महाविद्यालय स्तर पर एलुमनी बैठक	एलुमनी समिति
18	तृतीय सप्ताह	विद्यार्थियों हेतु Code of Conduct पर एक दिवसीय कार्यशाला	IQAC सेल एवं अनुशासन समिति

अक्टूबर 2023

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	01.10.2023	अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	MSW
2	02.10.2023	गाँधी एवं लालबहादुर जयंती	इतिहास विभाग एवं संपूर्ण महाविद्यालय
3	02.10.2023 to 08.10.2023	नशा बंद सप्ताह	NSS, MSW, Sociology
4	06.10.2023	विश्व वन्यप्राणी दिवस	प्राणीशास्त्र विभाग
5	07.10.2023	स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस	Redcross
6	08.10.2023	वायु सेना दिवस	NCC
7	15.10.2023	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	अंग्रेजी विभाग, रोजगार एवं मार्गदर्शन सेल, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण सेल
8	16.10.2023	विश्व खाद्य दिवस	वाणिज्य विभाग
9	24.10.2023	संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस	इतिहास विभाग एवं राजनीति शास्त्र विभाग
10	31.10.2023	एकता दिवस	राजनीति शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र विभाग
11	20.10.2023 to 21.10.2023	2 days biodiversity exhibition for school students	प्राणीशास्त्र विभाग एवं साइंस क्लब
12	द्वितीय सप्ताह	Health & Hygiene पर एक दिवसीय कार्यशाला	गृह विज्ञान विभाग
13	तृतीय सप्ताह	Career guidance पर एक दिवसीय कार्यशाला	समस्त विभाग

विवरणिका 2023-24

14	अंतिम सप्ताह	विस्तार गतिविधि (to aware students on social issues)	समस्त विभाग
15	अंतिम सप्ताह	Soft Skill पर सात दिवसीय कार्यशाला	अंग्रेजी विभाग
16	संपूर्ण माह	NET/SET Coaching	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
17	संपूर्ण माह	स्वच्छता अभियान	समस्त विभाग
18	अंतिम सप्ताह	सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म का ऑनलाइन भरने की सुचना	स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ

नवम्बर 2023

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	प्रथम सप्ताह	आंतरिक मूल्यांकन (सेमेस्टर)	समस्त विभाग
2	09.11.2023	राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस	महिला प्रकोष्ठ एवं राजनीति शास्त्र विभाग
3	12.11.2023	राष्ट्रीय पक्षी दिवस	प्राणीशास्त्र विभाग
4	14.11.2023	विश्व मधुमेह दिवस	NCC, NSS, Red Cross, MSW
5	19.11.2023 to 25.11.2023	कौमी एकता सप्ताह	NSS, MSW, समाज शास्त्र विभाग
6	24.11.2023 to 30.11.2023	यातायात सुरक्षा सप्ताह	NSS, MSW, समाज शास्त्र विभाग
7	द्वितीय सप्ताह	Self-Employment (स्वरोजगार) पर ट्रेनिंग कार्यशाला	रोजगार एवं मार्गदर्शन सेल, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण सेल
8	26.11.2023	संविधान दिवस	राजनीति शास्त्र विभाग एवं संपूर्ण महाविद्यालय
9	26.11.2023	विश्व पर्यावरण संरक्षक दिवस	वनस्पति शास्त्र विभाग, NSS
10	द्वितीय सप्ताह	Research Ethics/ IPR/Patent Filing पर सात दिवसीय कार्यशाला	रिसर्च एवं प्रोजेक्ट विकास समिति एवं IQAC
11	अंतिम सप्ताह	शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु Undertaking Consultancy पर ट्रेनिंग कार्यक्रम	HRD Cell
12	संपूर्ण माह	NET/SET Coaching	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
13	प्रथम सप्ताह से अन्तिमे सप्ताह तक	सेमेस्टर विद्यार्थियों हेतु परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारण, प्रायोगिक परीक्षा आयोजन	समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर विभाग

दिसम्बर 2023

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	01.12.2023	विश्व एड्स दिवस	YRC, Red Ribbon

विवरणिका 2023-24

2	04.12.2023	नौसेना दिवस	NCC
3	06.12.2023	नागरिक सुरक्षा दिवस	NCC, बायोटेक्नोलॉजी विभाग
4	07.12.2023	झंडा दिवस	NCC
5	10.12.2023	मानवाधिकार दिवस	राजनीति शास्त्र विभाग, वाणिज्य विभाग
6	13.12.2023 to 17.12.2023	कराटे प्रशिक्षण	महिला प्रकोष्ठ
7	14.12.2023	राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस	CS, CA, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
8	तृतीय सप्ताह	छ ग व्यंजन प्रशिक्षण एवं मेला	महिला प्रकोष्ठ, गृह विज्ञान
9	22.12.2023	राष्ट्रीय गणित दिवस	गणित विभाग
10	24.12.2023	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस	वाणिज्य विभाग, अर्थशास्त्र विभाग
11	द्वितीय सप्ताह	शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु Computer training	CS, CA विभाग
12	प्रथम सप्ताह	Civil Service Rules पर कार्यशाला	HRD Cell एवं IQAC
13	प्रथम सप्ताह	सेमेस्टर परीक्षा प्रारंभ	स्वशासी प्रकोष्ठ

जनवरी 2024

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	08.01.2024 to 13.01.2024	राष्ट्रीय युवा सप्ताह	NSS
2	30.01.2024	शहीद दिवस	इतिहास विभाग
3	22.01.2044	महंत राजा दिग्विजय दास जी की पुण्यतिथि	समस्त महाविद्यालय
4	26.01.2024	गणतंत्र दिवस	समस्त महाविद्यालय
5	तृतीय सप्ताह	शिक्षक अभिभावक बैठक	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
6	10.01.2024	विश्व हिंदी दिवस	हिंदी विभाग
7	12.01.2024	राष्ट्रीय युवा दिवस	NSS एवं दर्शन शास्त्र विभाग
8	15.01.2024	थल सेना दिवस	NCC
9	23.01.2024	सुभाष चंद्र बोस जयंती	इतिहास विभाग
10	24.01.2024	राष्ट्रीय बालिका दिवस	महिला प्रकोष्ठ, समान अवसर केंद्र
11	25.01.2024	भारतीय पर्यटन दिवस	इतिहास विभाग एवं राजनीति शास्त्र विभाग

12	26.01.2024	अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस	वाणिज्य विभाग, अर्थशास्त्र विभाग
13	द्वितीय सप्ताह	Physical Fitness पर कार्यशाला	क्रीड़ा समिति
14	तृतीय सप्ताह	Personality development पर कार्यशाला	अंग्रेजी विभाग एवं रोजगार एवं मार्गदर्शन सेल
15	संपूर्ण माह	NET/SET Coaching	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
16	द्वितीय सप्ताह	अंतर्महाविद्यालयीन सांस्कृतिक प्रतियोगिता	सांस्कृतिक विभाग

फ़रवरी 2024

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	28.02.2024	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस	विज्ञान संकाय
2	04.02.2024	विश्व कैंसर दिवस	प्राणीशास्त्र विभाग एवं YRC, NSS
3	21.01.2024	अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस	हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत विभाग
4	24.02.2024	केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस	वाणिज्य विभाग, अर्थशास्त्र विभाग
5	तृतीय सप्ताह	तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम	HRD Cell
6	प्रथम सप्ताह	तीन दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम	HRD Cell
7	द्वितीय सप्ताह	अतिथि व्याख्यान, अंतर्विभागीय व्याख्यान, Trends & in Technologies जागरूकता पर कार्यशाला	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
8	संपूर्ण माह	NET/SET Coaching	समस्त स्नातकोत्तर विभाग

मार्च 2024

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	प्रथम सप्ताह	आंतरिक मूल्यांकन	समस्त स्नातकोत्तर विभाग
2	प्रथम सप्ताह	Physical Fitness पर कार्यशाला	क्रीड़ा समिति
3	द्वितीय सप्ताह	भाषायी सदभाव (Linguistic Harmony) पर कार्यशाला	हिंदी विभाग
4	द्वितीय सप्ताह	Gender equity पर कार्यशाला	महिला प्रकोष्ठ, समान अवसर केंद्र
5	03.03.2024	विश्व वन्यजीव दिवस	प्राणीशास्त्र विभाग
6	04.03.2024	राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस	NCC
7	08.03.2024	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	महिला प्रकोष्ठ,
8	15.03.2024	विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस	वाणिज्य विभाग, अर्थशास्त्र विभाग
9	16.03.2024	विश्व टीकाकरण दिवस	YRC, Red ribbon
10	21.03.2024	विश्व वानिकी दिवस	प्राणीशास्त्र विभाग

विवरणिका 2023-24

11	21.03.2024	विश्व विकलांग दिवस	YRC, Red ribbon
12	22.03.2024	विश्व जल संरक्षण दिवस	रसायनशास्त्र विभाग
13	23.03.2024	भगत सिंह, सुकदेव, राजगुरु शहीद दिवस	इतिहास विभाग
14	23.03.2024	विश्व मौसम विज्ञान विभाग	वनस्पति शास्त्र विभाग
15	23.03.2024	राममनोहर लोहिया जयंती	राजनीति शास्त्र विभाग
16	24.03.2024	विश्व टीबी दिवस	YRC, Red ribbon

अप्रैल 2024

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	07.04.2024	विश्व स्वास्थ्य दिवस	YRC, Red ribbon
2	25.04.2024	दिग्विजय दास जी की जयंती	समस्त महाविद्यालय
3	प्रथम सप्ताह	सांस्कृतिक सन्दाव पर कार्यक्रम	सांस्कृतिक विभाग, समस्त महाविद्यालय
4	द्वितीय सप्ताह	सामाजिक आर्थिक सन्दाव	समाजशात्र, अर्थशास्त्र समस्त महाविद्यालय
5	03.04.2024	हिंदी रंगमंच दिवस	हिंदी विभाग
6	05.04.2024	राष्ट्रीय नौवहन दिवस	NCC Naval
7	14.04.2024	डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती	राजनीति शास्त्र विभाग
8	22.04.2024	पृथ्वी दिवस	साइंस क्लब
9	23.04.2024	विश्व पुस्तक दिवस	हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत विभाग
10	24.04.2024	राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस	राजनीति शास्त्र विभाग

मई 2024

क्र.	दिनांक	कार्यक्रम/गतिविधियाँ	विभाग
1	03.05.2024	विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	पत्रकारिता विभाग
2	05.05.2024	विश्व पर्यावरण दिवस	साइंस क्लब
3	01.05.2024	अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस	MSW, NSS
4	08.05.2024	विश्व रेड क्रॉस दिवस	Red Cross
5	30.05.2024	हिंदी पत्रकारिता दिवस	हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग

छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति का प्रकार	ST	SC	OBC	General	विशेष
BPL scholarship	300/- प्रति माह (स्नातक स्तर पर)	300/- (स्नातक स्तर पर)	300/- (स्नातक स्तर पर)		अधिकतम 10 माह के लिए
BPL scholarship	500/- प्रति माह (स्नातकोत्तर स्तर पर)	500/- प्रति माह (स्नातकोत्तर स्तर पर)	500/- प्रति माह (स्नातकोत्तर स्तर पर)		अधिकतम 10 माह के लिए
Minority	500/- प्रति माह (स्नातक स्तर पर)	500/- प्रति माह (स्नातक स्तर पर)	500/- प्रति माह (स्नातक स्तर पर)		अधिकतम 10 माह के लिए
Minority	900/- प्रति माह (स्नातकोत्तर स्तर पर)	900/- प्रति माह (स्नातकोत्तर स्तर पर)	900/- प्रति माह (स्नातकोत्तर स्तर पर)		अधिकतम 10 माह के लिए
Disabilty	10000/- (स्नातक स्तर पर सालाना)	10000/- (स्नातक स्तर पर सालाना)	10000/- (स्नातक स्तर पर सालाना)		दिव्य समाज कल्याण राजनंदगांव से स्वीकृति पश्चात्
Disabilty	15000/- (स्नातकोत्तर स्तर पर सालाना)	15000/- (स्नातकोत्तर स्तर पर सालाना)	15000/- (स्नातकोत्तर स्तर पर सालाना)		दिव्य समाज कल्याण राजनंदगांव से स्वीकृति पश्चात्
central	10000/- (स्नातक स्तर पर सालाना)	10000/- (स्नातक स्तर पर सालाना)	10000/- (स्नातक स्तर पर सालाना)	10000/- (स्नातक स्तर पर सालाना)	न्यूनतम 80% प्रासांक
central	20000/- (स्नातकोत्तर स्तर पर सालाना)	20000/- (स्नातकोत्तर स्तर पर सालाना)	20000/- (स्नातकोत्तर स्तर पर सालाना)	20000/- (स्नातकोत्तर स्तर पर सालाना)	न्यूनतम 80% प्रासांक
SANTOOR company Scholarship	24000/- वार्षिक	24000/- वार्षिक	24000/- वार्षिक	24000/- वार्षिक	ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं हेतु
Swami Vivekanand Scholarship	Admission Fess	Admission Fess	Admission Fess	Admission Fess	निर्धन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त न हो
चिकित्सा सहायता मद					आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को इलाज हेतु
निर्धन सहायता मद					आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को
पोस्ट मैट्रिक (गैर छात्रावासी)	300(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्र) 300(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्रा) 530(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्र),	300(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्र) 300(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्रा) 530(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्र),	55(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्र) 70(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्रा) 100(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्र),		

विवरणिका 2023-24

	530(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्रा)	530(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्रा)	110(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्रा)		
पोस्ट मैट्रिक (छात्रावासी)	570(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्र) 570(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्रा) 820(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्र), 820 (प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्रा)	570(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्र) 570(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्रा) 820(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्र), 820 (प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्रा)	100(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्र) 110(प्रति माह स्नातक स्तर, छात्रा) 125(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्र), 135(प्रति माह स्नातकोत्तर स्तर, छात्रा)		

विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता एवं अनुशासन:

1. प्रत्येक छात्र नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होगा।
2. छात्र साफ. सुथरे और शालीनता से कपड़े पहनें।
3. छात्रों को हमेशा मर्यादा और शिष्टता के साथ व्यवहार करना चाहिए।
4. विद्यार्थी महाविद्यालय भवन को क्षति पहुँचाने, दीवारों को विकृत करने, फर्नीचर आदि बिल लिखना या चिपकाना छात्रों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक अपकार है। नुकसान की कीमत, यदि कोई हो, वसूल किया जाएगा।
5. कोई भी छात्र शिक्षक की अनुमति के बिना या तब तक कक्षा नहीं छोड़ेगा जब तक शिक्षक कक्षा छोड़ चुका है।
6. देर से आने वाले छात्रों को केवल शिक्षक की अनुमति के साथ ही कक्षा में प्रवेश करना होगा
7. कक्षा के घंटों के दौरान महाविद्यालय प्रांगण में घूमने की अनुमति नहीं है।
8. महाविद्यालय में बिना अनुमति के कोई भी सभा या मनोरंजन का आयोजन नहीं किया जायेगा
9. खोई या पाई गई किसी भी वस्तु की सूचना तुरंत कार्यालय को दी जाएगी।
10. अनियमित उपस्थिति, शिक्षकों की अवज्ञा, कक्षा के काम से आदतन बचना, किसी भी प्रकार की अश्लीलता, किसी के निलंबन या बर्खास्तगी के लिए पर्याप्त आधार है
11. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे नोटिस बोर्ड पर की गई घोषणाओं का पालन करें।
12. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान और मादक पेय या नशीली दवाओं का उपयोग करना या रखना सख्ती से प्रतिबंधित है
13. कोई भी छात्र ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे कक्षाओं में बाधा उत्पन्न हो या कॉलेज परिसर में हंगामा यदि कोई छात्र उपरोक्त नियम का उल्लंघन करता है, तो वह कॉलेज से सरसरी तौर पर बर्खास्त किया जा सकता है।
14. कनिष्ठ पर रैगिंग, चिढ़ाना, डराना, धमकाना, अपशब्दों का प्रयोग करना आदि विशेष रूप से महिला छात्र से, परिसर के भीतर या बाहर दंडनीय है। पुलिस अधिनियम के तहत अपराध और ऐसे मामलों की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। इस तरह के कृत्यों में शामिल छात्रों को पर्याप्त रूप से दंडित किया जाएगा।
15. छात्रों या बाहरी लोगों को शाम 5 बजे के बाद परिसर में बिना प्राचार्य की अनुमति उपस्थित होने की अनुमति नहीं है।
16. छात्रों और बाहरी लोगों को अंदर वाहन लाने की अनुमति नहीं है। जाएं। उन्हें आवंटित स्थानों पर वाहन पार्क करना है

17. चार्ज या विधिवत गठित कॉलेज प्राधिकरण परिसर या छात्रावास परिसर के भीतर छात्रों के आचरण को विनियमित करने वाले स्थायी या अस्थायी प्रकृति के नियम अनुशासनात्मक फ्रेम और जारी कर सकता है। छात्र उनका पालन करने के लिए बाध्य हैं।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पांच साल के कारावास की सजा या पांच हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय से शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और वह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेगा।

अनुशासन संबंधी विश्वविद्यालय अधिनियम :-

म.प्र. विश्वविद्यालय नियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र-छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासन हीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है।

1. निलंबन
2. निष्कासन
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग/प्रताड़ना का प्रतिशोध अधिनियम 2001 :-

रैगिंग के अंतर्गत – कोलाहल पूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दा या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिससे नये छात्र-छात्राओं को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो, अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो अथवा छात्र/छात्राओं को ऐसे कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र-छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छत्तीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है— किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित

करना या बाध करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे यह हास्यास्पद हो जाये या डरा धमका कर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके चोट पहुंचाकर या उस पर अनुचित दवाब डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दवाब डालकर या उसे भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना। विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की गतिविधि को रैगिंग के अंतर्गत माना जायेगा –

- जूनियर विद्यार्थियों द्वारा सीनियर विद्यार्थियों को "सर" कहने के लिए
- सामूहिक कवायद करने के लिए
- सीनियर विद्यार्थियों के क्लास नोट्स उतारने के लिए
- अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए
- सीनियरों के लिए मूल्योचित कार्य करने के लिए
- अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए
- नये विद्यार्थियों को अपने सीधेपन के विपरीत अघात पहुंचाने, अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
- शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना
- कामुक संकेतार्थ वाले कार्य– समलैगिंग कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
- ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है
- अश्लीलतायें करना, चुम्बन लेना।

शैक्षणिक संस्था का विद्यार्थी प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा। यदि कोई विद्यार्थी इसका उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह 5 वर्ष तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जावेगा एवं उसे राज्य के अन्य शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

परिभाषाएँ

- पीड़ित महिला का अर्थ है-
 1. "कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी उम्र की महिला, चाहे वह कार्यरत हो या नहीं, जो प्रतिवादी द्वारा यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है।"
 2. "निवास स्थान या घर के संबंध में, किसी भी उम्र की महिला जो ऐसे निवास स्थान या घर में कार्यरत है।"
- यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अप्रिय कार्य या व्यवहार शामिल है; चाहे प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ, अर्थात्:
 1. शारीरिक संपर्क या आगे बढ़ना
 2. यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध
 3. यौन संबंधी टिप्पणियां करना
 4. अश्लील साहित्य दिखाना
 5. यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण

यौन उत्पीड़न की शिकायत:

1. कोई भी व्यथित महिला लिखित रूप में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक समिति यदि इस प्रकार गठित है या स्थानीय समिति यदि यह इस प्रकार गठित नहीं है के पास तीन महीने की अवधि के भीतर लिखित रूप में कर सकती है। घटना और घटनाओं की एक श्रृंखला के मामले में पिछली घटना की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर:

बशर्ते कि जहां ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं की जा सकती है, पीठासीन अधिकारी या आंतरिक समिति का कोई सदस्य या अध्यक्ष या स्थानीय समिति का कोई सदस्य, जैसा भी मामला हो, शिकायत करने के लिए महिला को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा। लेखन में:

बशर्ते कि आंतरिक समिति या जैसा भी मामला हो स्थानीय समिति लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से समय सीमा को तीन महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकती है अगर यह संतुष्ट है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जो महिला को रोक रही थीं। उक्त अवधि के भीतर शिकायत दर्ज करने से।

2. जहां व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु या अन्यथा के कारण शिकायत करने में असमर्थ है, उसका कानूनी उत्तराधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति जो निर्धारित किया जा सकता है, इस धारा के तहत शिकायत कर सकता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम।

- किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला का यौन उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
- अन्य परिस्थितियों के साथ-साथ निम्नलिखित परिस्थितियाँ, यदि ऐसा होता है, या यौन उत्पीड़न के किसी कार्य या व्यवहार के संबंध में मौजूद है या उससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न की कोटि में आ सकती है।
- उसके रोजगार में अधिमान्य व्यवहार का निहित या स्पष्ट वादा, या
- उसके रोजगार में हानिकारक व्यवहार की निहित या स्पष्ट धमकी, या
- उसके वर्तमान या भविष्य के रोजगार की स्थिति के बारे में निहित या स्पष्ट धमकी, या

- उसके काम में हस्तक्षेप या उसके लिए डराने या आक्रामक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाना, या
- अपमानजनक व्यवहार से उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है।

यौन उत्पीड़न की सजा:

- कोई भी व्यक्ति जो उप.धारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुमनि के साथ, या दोनों ही।

महाविद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु महत्वपूर्ण सम्पर्क क्रमांक एवं सम्पर्क स्थल

क्रमांक	कार्य का विवरण	प्रभारी का नाम	संपर्क स्थल
1	महाविद्यालय से संबंधित किसी प्रकार के सुझाव, पत्रशे अथवा शिकायत हतु	प्राचार्य डॉ.के.एल.टांडेकर	प्राचार्य कक्ष
2	स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य	नियंत्रक डॉ.के.एल.दामले	स्वशासी प्रकोष्ठ
3	कार्यालय से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/असुविधा होने संबंधी	रजिस्ट्रार/मुख्य लिपिक	कार्यालय
4	बालक छात्रावास से संबंधित	डॉ. अश्वनी शर्मा	रसायन विभाग
5	बालिका छात्रावास से संबंधित	डॉ. बी.एन.जागृत	हिन्दी विभाग
6	छात्रवृत्ति से संबंधित	श्रीमती संतुला देवांगन	छात्रवृत्ति शाखा कार्यालय
7	शुल्क से संबंधित	श्री टीकम कोसरे	फीस काउंटर कार्यालय
8	स्थानांतरण प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र नामांकन आदि से संबंधित	श्री हेमंत साहू	टी.सी. काउंटर, कार्यालय
9	एनसीसी (छात्र विंग) से संबंधित	श्री हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर	एन.सी.सी. विभाग
10	एनसीसी नेवल से संबंधित	श्री विकास काण्डे	एन.सी.सी. नेवल विभाग
11	एनएसएस (छात्र विंग) से संबंधित	श्री संजय सप्तर्षि	एन.एस.एस.विभाग
12.	एनएसएस (छात्रा विंग) से संबंधित	श्रीमती करुणा रावटे	एन.एस.एस. विभाग
12.	यूथ रेडकास इकाई	श्री संजय देवांगन	वाणिज्य विभाग
13	एंटी रैगिंग सेल (छात्र-छात्राओं) से संबंधित प्रकरण	डॉ. डी.पी.कुर्रे	अर्थशास्त्र विभाग
14	कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायत	डॉ. मीना प्रसाद	महिला सेल

विवरणिका 2023-24

15	ग्रंथालय संबंधी जानकारी	श्री परस राम	ग्रंथालय
16	खेलकूद आयाजेनो संबंधी जानकारी	श्री अरुण चौधरी	क्रीड़ा विभाग
17	कौशल विकास	डॉ. माजिद अली	प्राणीशास्त्र विभाग
18	सांस्कृतिक कार्यक्रम	डॉ. अनिता शंकर	अंग्रेजी विभाग
19	रेड रिबन	सुश्री वंदना मिश्रा	रसायनशास्त्र विभाग
20	कैरियर गाइडेस/ट्रेनिंग एव प्लेसमेंट सले	डॉ. संजय ठिस्के	मार्गदर्शन केन्द्र
21	इग्नू अध्ययन केन्द्र	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	इग्नू सेंटर/इतिहास विभाग
22	पं.सुन्दर लाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र	श्री अरुण कुमार वैष्णव	सुन्दर लाल शर्मा अध्ययन केन्द्र
23	NAD/ABC सेल	श्री गोकुल राम निषाद	रसायन शास्त्र

पीएचडी शोध उपाधि हतु महाविद्यालय मे हेमचंद यादव विष्वविद्यालय, दुर्ग एवं अन्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विषयवार शाधे निर्देशको की सूची

Sr. No.	List of Research Guides	
1	Name of the teacher	Department
2	Dr. K. L Tandekar	Principal(Commerce)
3	Dr. Anjana Thakur	Political Science
4	Dr. Anita Mahishwar	Botany
5	Dr. Trilok Dev	
6	Dr. Sonal Mishra	
7	Dr. Keshavram Adil	
8	Dr. D. P. Kurre	Economics
9	Dr. Mahesh Shrivastava	
10	Dr. Sumita Shrivastava	
11	Dr. H. S. Bhatia	Commerce
12	Dr. Shailendra singh	History
13	Dr. K .N. Prasad	Geography
14	Dr. Preeti Taunk	Physics
15	Dr. Suresh Patel	
16	Dr. Sanjay thiske	Zoology
17	Dr. Majid Ali	
18	Dr. Neelu Shrivastava	English
19	Dr. Anita Saha	
20	Dr. S M Rai	Hindi
21	Dr. B. N. Jagrit	
22	Dr. H S Alreja	Philosophy
23	Dr. Divya Deshpandey	Sanskrit
24	Dr. Lalit Pradhan	
25	Dr. Pramod Mahish	Biotechnology
26	Dr. Hemant Sao	Mathematics
27	Dr. Dakeshwar Verma	Chemistry
28	Dr. Ashwani Sharma	
29	Dr. Priyanka Singh	



**कार्यालय-प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग)**

Web site- www.gdcr.ac.inEmail: principal@digvijaycollege.com

☎ : & Fax 07744-296331

College Code-1901

समितियों के संयोजक की सूची

1.	स्टॉफ काउंसिल	डॉ. अंजना ठाकुर	—	सचिव
2.	अनुशासन समिति	डॉ. के.एल. दामले	—	संयोजक
3.	एंटी रैगिंग एवं एंटी रैगिंग स्क्वाड	डॉ. डी.पी. कुर्रे	—	संयोजक
4.	सम्मिलित निधि समिति	डॉ. अंजना ठाकुर	—	सचिव
5.	रिसर्च एंड प्रोजेक्ट विकास समिति	डॉ. डी.पी. कुर्रे	—	संयोजक
6.	लेखा जांच समिति	श्री एच.सी. जैन	—	संयोजक
7.	क्रय/अपलेखन समिति	डॉ. के.के. देवांगन	—	संयोजक
8.	नैक एवं IQAC समिति	डॉ. के.के. देवांगन	—	संयोजक (नैक)
9.	यू.जी.सी. प्रकोष्ठ	श्री विकास कांडे	—	संयोजक
10.	न्यायालयीन प्रकरण	डॉ. राजकुमार बंजारे	—	संयोजक
11.	वेबसाईट समिति	श्री राजू खुंटे	—	संयोजक
12.	छात्रसंघ समिति	डॉ. के.एल. दामले	—	संयोजक
13.	महाविद्यालय पत्रिका एवं समाचार	डॉ. शंकरमुनि राय	—	संयोजक
14.	रोजगार मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट सेल	डॉ. संजय टिसके	—	संयोजक
15.	कौशल विकास एवं प्रशिक्षण सेल	डॉ. माजिद अली	—	संयोजक
16.	महाविद्यालय शोध पत्रिका (रिसर्च फ्रंट)	डॉ. प्रमोद महीश	—	संयोजक
17.	महिला प्रकोष्ठ एवं महिला उत्पीड़न निवारण समिति	डॉ. मीना प्रसाद	—	संयोजक
18.	छात्रवृत्ति/निर्धन सहायता समिति	डॉ. अनिता महिश्वर	—	संयोजक
19.	सांस्कृतिक एवं युवा उत्सव समिति	डॉ. अनिता शंकर	—	संयोजक
20.	पुस्तकालय/अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ एवं निःशुल्क स्टेशनरी प्रदाय	डॉ. डी.पी. कुर्रे	—	संयोजक
21.	सूचना सेल (सूचना का अधिकार)	डॉ. के.एल. दामले	—	सहायक जनसूचना अधि.
22.	क्रीड़ा समिति	प्राचार्य	—	अध्यक्ष
23.	रेडक्रास, चिकित्सा समिति	श्री संजय देवांगन	—	संयोजक
24.	रेड रिबन समिति	सुश्री वंदना मिश्रा	—	संयोजक
25.	महाविद्यालय भवन निर्माण, स्वच्छता, विकास, नियोजन एवं विकास समिति	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	—	संयोजक
26.	सायकल/वाहन स्टैण्ड समिति	डॉ. एच.एस. भाटिया	—	संयोजक
27.	मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ	डॉ. अंजना ठाकुर	—	संयोजक
28.	महाविद्यालय समय सारिणी अध्यापन व्यवस्था समिति एवं संकाय प्रभारी	डॉ. डी.पी. कुर्रे	—	कला संकाय प्रभारी
		डॉ. अनिता महिश्वर	—	विज्ञान संकाय प्रभारी

	डॉ. एस.के. उके	—	वाणिज्य संकाय प्रभारी
29. चिन्हित महाविद्यालय के कार्यों का सम्पादन दायित्व समिति	श्री डी.के. परगनिहा	—	संयोजक
30. त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक परीक्षा संचालन	डॉ. शबनम खान	—	संयोजक
31. छात्रावास प्रभारी बालिका	डॉ. बी.एन. जागृत	—	संयोजक
32. छात्रावास प्रभारी बालक	डॉ. अश्वनी शर्मा	—	प्रभारी
33. कैन्टिन समिति	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	—	संयोजक
34. आयकर गणना समिति	डॉ. के.के. देवांगन	—	संयोजक
35. एलुमनी समिति	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	—	संयोजक
36. समान अवसर केन्द्र	डॉ. नीलू श्रीवास्तव	—	संयोजक
37. ग्रीवेन्सेस एण्ड रीड्रेसल सेल	डॉ. अनिता महिश्वर	—	संयोजक
38. स्व वित्तीय पाठ्यक्रम समिति	डॉ. बी.एन. जागृत	—	संयोजक
39. एड-ऑन कोर्स समिति	डॉ. अनिता शंकर	—	संयोजक
40. रूसा	डॉ. के.एन. प्रसाद	—	संयोजक
41. ग्रंथालय/वाचनालय विकास समिति	डॉ. शबनम खान	—	संयोजक
42. विवेकानंद निर्धन सहायता सदभावना कोष	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	—	संयोजक
43. इथिक समिति	डॉ. अनिता महिश्वर	—	संयोजक
44. स्वशासी प्रकोष्ठ समिति	डॉ. अन्जना ठाकुर	—	नियंत्रक
45. परिस्थिति की पाठशाला समिति	डॉ. अनिता शंकर	—	संयोजक
46. मीडिया सेल	डॉ. बी.एन. जागृत	—	संयोजक
47. संकाय प्रभारी	डॉ. अनिता महिश्वर	—	विज्ञान
	डॉ. एच.एस. भाटिया	—	वाणिज्य
	डॉ. डी.पी. कुर्रे	—	कला
48. एन.सी.सी. (छात्र/छात्रा)	श्री हीरेन्द्र बहादूर	—	प्रभारी
एन.सी.सी. (नेवल)	श्री विकास काण्डे	—	प्रभारी
एन.एस.एस. इकाई-1	श्री संजय सप्तर्षि	—	प्रभारी
एन.एस.एस. इकाई-2	श्रीमती करुणा रावटे	—	प्रभारी
पं. सुंदरलाल शर्मा वि.वि.	डॉ. पी.बी. टांक	—	प्रभारी
इग्नू	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	—	प्रभारी
सेंट्रल लैब	श्री युनुस रजा बेग	—	प्रभारी
49. स्वच्छ शौचालय एवं परिसर की सफाई समिति :-	डॉ. अंजली मोहन कोडोपी	—	संयोजक
50. वच्छ पेयजल की व्यवस्था समिति :-	डॉ. एच.एस.अलरेजा	—	संयोजक
51. महाविद्यालय का रंग रोगन समिति -	श्री एच.सी. जैन	—	संयोजक
52. अकादमिक आडिट समिति -	डॉ. डी.पी. कुर्रे	—	संयोजक
53. महाविद्यालय में वाई-फाई/	—	श्री राजू खुटे	— संयोजक
सी.सी.टी.वी./इन्टरनेट सुविधा			

कार्यालय प्राचार्य-शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,
राजनांदगांव (छ.ग.)

स्वर्ण पदक

स.क्र.	कक्षा	स्वर्ण पदक का नाम	दानदाता के द्वारा प्रदत्त
1	बी.ए. भाग-1	स्व. डॉ. पदुमलाल पुन्नलाल बख्शी स्वर्ण पदक	श्री सुरेश मिरानी
2	बी.एस.सी. भाग-1, गणित	स्व. श्री नारायण लड्डा स्वर्ण पदक	श्री निवासदास लड्डा
3	बी.एस.सी. भाग-1, बायो	स्व. श्री गिरजा शंकर शर्मा स्वर्ण पदक	श्रीमती सरोजमणी शर्मा
4	बी.कॉम. भाग-1	स्व. श्री मूलचंद लोहिया स्वर्ण पदक	श्री जेठमल महेश्वरी
5	बी.कॉम. भाग-1 लेखांकन	स्व. श्री कैलाश गौतम स्वर्ण पदक	श्रीमती शकुन्तला गौतम
6	बी.ए. भाग-2	स्व. श्रीमती रेखा मुखर्जी स्वर्ण पदक	डॉ. श्रीमती कमल मुखर्जी
7	बी.एस.सी. भाग-2, गणित	श्री तनुज कोहली स्वर्ण पदक	श्री एस.पी. कोहली
8	बी.एस.सी. भाग-2, बायो	स्व. श्री भगवान प्रसाद दीक्षित स्वर्ण पदक	प्रो. आर.पी. दीक्षित
9	बी.कॉम. भाग-2	स्व. श्री योगेश चंद सक्सेना स्वर्ण पदक	डॉ. श्रीमती नीलू श्रीवास्तव
10	बी.ए. भाग-3	स्व. श्री हरिवल्लभ जानी स्वर्ण पदक	श्री महेश जॉनी
11	बी.ए. भाग-3, संस्कृत	स्व. श्री नारायण प्रसाद मिश्र स्वर्ण पदक	डॉ. सुरुचि मिश्रा
12	बी.ए. भाग-3, हिन्दी साहित्य	स्व. श्री मेघनाथ कन्नौजे स्वर्ण पदक	डॉ. सुधा सोनी
13	बी.एस.सी. भाग-3, गणित	स्व. श्रीमती झमकू बाई कोठारी स्वर्ण पदक	श्री इन्दरचंद कोठारी
14	बी.एस.सी. भाग-3, बायो	स्व. श्री गोपीलाल लोहिया स्वर्ण पदक	श्री गोवरधनदास लोहिया
15	बी.एस.सी. भाग-3, औ.र.	स्व. श्री अजय मुण्डेल स्वर्ण पदक	प्रो. बी.एल. मुण्डेल
16	बी.एस.सी. भाग-3, बायोटेक	स्व. श्रीमती तिजिया देवी कन्नौजे स्वर्ण पदक	प्रो. एस.आर. कन्नौजे
17	बी.एस.सी. भाग-3, कम्प्यूटर साइंस	स्व. श्री नारायण शिव दास रामानी स्वर्ण पदक	श्री शिवराज भाई पटेल
18	बी.एस.सी. भाग-3, सर्वाधिक अंक	स्व. श्रीमती नर्मदा बेन स्वर्ण पदक	श्री शिवराज भाई पटेल
19	बी.कॉम. भाग-3	स्व. श्री मांगी लाल कोठारी स्वर्ण पदक	श्री जीवन चंद कोठारी
20	एम.ए. पूर्व-हिन्दी	स्व. कु. उषाकिरण सोनी	श्री बद्री विशाल सोनी

		स्वर्ण पदक	
21	एम.ए. पूर्व-अंग्रेजी	स्व. श्री बी.एन. राय स्वर्ण पदक	श्री बसंत राय
22	एम.ए. पूर्व-संस्कृत	स्व. श्री अजय बहादुर सिंह स्वर्ण पदक	प्रो. खडग बहादुर सिंह
23	एम.ए. पूर्व-अर्थशास्त्र	स्व. श्री पूनम चंद कोठारी स्वर्ण पदक	श्रीमती राजकुंवर बाई कोठारी
24	एम.ए. पूर्व-इतिहास	स्व. श्री केदार नाथ डागा स्वर्ण पदक	श्री पुरुषोत्तम डागा
25	एम.ए. पूर्व-भूगोल	स्व. श्री एम.आर. चन्द्राकर स्वर्ण पदक	डॉ. आई.एस. चंद्राकर
26	एम.ए. पूर्व-समाजशास्त्र	स्व. श्री दशरथ प्रसाद जोशी स्वर्ण पदक	श्री ए.के. जोशी
27	एम.ए. पूर्व-राजनीतिशास्त्र	स्व. श्री जीवन चंद बैद स्वर्ण पदक	श्री किशोर बैद
28	एम.एस.सी. पूर्व-गणित	स्व. श्री हरिदर्शन सिंह बघेल स्वर्ण पदक	श्री शिशिर दर्शन सिंह बघेल
29	एम.एस.सी. पूर्व-भौतिक	स्व. श्री बी.एल. शर्मा स्वर्ण पदक	डॉ. प्रफुल्ल शर्मा
30	एम.एस.सी. पूर्व-रसायन	स्व. श्री बी.के. परसाई स्वर्ण पदक	श्री ए.के. परसाई
31	एम.एस.सी. पूर्व-वनस्पति शास्त्र	स्व. श्रीमती सुधा मिश्रा स्वर्ण पदक	श्री उदय मिश्रा
32	एम.एस.सी. पूर्व- प्राणीशास्त्र	स्व. डॉ. शरद रामराव उबगडे स्वर्ण पदक	श्रीमती पुष्पा शरद उबगडे
33	एम.कॉम. पूर्व	स्व. श्री टीकम दास माखीजा स्वर्ण पदक	डॉ. ए.एन. माखीजा
34	स्नातकोत्तर पूर्व में सर्वाधिक अंक	स्व. डॉ. मिश्रीलाल महोबे स्वर्ण पदक	डॉ. रमेश मोहबे
35	एम.ए. अंतिम-हिन्दी	स्व. श्रीमती रामप्यारी देवी सारडा स्वर्ण पदक	श्री नंदकिशोर रामनिवास सारडा
36	एम.ए. अंतिम-अंग्रेजी	स्व. श्री बालाराम खण्डेलवाल स्वर्ण पदक	श्री महेश कुमार खण्डेलवाल
37	एम.ए. अंतिम-संस्कृत	स्व. श्री रविशंकर पचौरी स्वर्ण पदक	श्री अशोक चौधरी
38	एम.ए. अंतिम-अर्थशास्त्र	स्व. श्री बालाचन्द कोडामल डागा स्वर्ण पदक	मे. बालचंद कोडामल
39	एम.ए. अंतिम-इतिहास	स्व. श्री प्रकाश राव नायडू स्वर्ण पदक	श्रीमती लीला रवि पचौरी
40	एम.ए. अंतिम-भूगोल	स्व. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव स्वर्ण पदक	श्रीमती सुमति श्रीवास्तव

41	एम.ए. अंतिम-समाजशास्त्र	स्व. पं. किशोरी लाल शुक्ल स्वर्ण पदक	श्री कन्हैयालाल अग्रवाल
42	एम.ए. अंतिम-राजनीति शास्त्र	स्व. श्रीमती उमादेवी डागा स्वर्ण पदक	श्री शंकरलाल डागा
43	एम.एस.सी. अंतिम-गणित	स्व. श्री धोकल चंद कोठारी स्वर्ण पदक	श्री पूनम चंद कोठारी
44	एम.एस.सी. अंतिम-भौतिक	स्व. प्रो. एन.के. श्रीवास्तव स्वर्ण पदक	श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव
45	एम.एस.सी. अंतिम-रसायन	स्व. श्री ताराचंद पचौरी स्वर्ण पदक	श्री रवि पचौरी
46	एम.एस.सी. अंतिम-वनस्पति शास्त्र	स्व. श्री नर्मदा सिंह ठाकुर स्वर्ण पदक	श्री राजेश सिंह राजपूत
47	एम.एस.सी. अंतिम-प्राणीशास्त्र	स्व. श्री नंदकिशोर तन्ना स्वर्ण पदक	श्री बाबू भाई तन्ना
48	एम.कॉम. अंतिम	स्व. श्री नथमल डागा स्वर्ण पदक	श्री नंदलाल डागा
49	स्नातकोत्तर अंतिम में सर्वाधिक अंक	स्व. श्री पूनमचंद कोठारी स्वर्ण पदक	श्रीमती राजकुंवर बाई कोठारी
50	एन.एस.एस. छात्र	स्व. श्रीमती चंचल बाई श्री आसकरण कोचर स्वर्ण पदक	श्रीचंद कोचर
51	क्रीडा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि (छात्र)	स्व. श्री एन.आर. पिल्ले स्वर्ण पदक	श्री पिल्ले जी
52	क्रीडा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि (छात्रा)	स्व. श्रीमती मानकुंवर देवी पटेल स्वर्ण पदक	डॉ. श्रीमती निर्मला उमरे
53	एन.सी.सी. छात्रा विशेष उपलब्धि	स्व. श्री लालचंद गिड़िया स्वर्ण पदक	मुकेश टेक्सटाईल्स
54	एन.सी.सी. बेस्ट कैंडिडेट	स्व. श्रीमती रमादेवी पाण्डे स्वर्ण पदक	श्री विजय पाण्डेय
55	एन.सी.सी. छात्र विशेष उपलब्धि	स्व. श्री देवनारायण सिंह स्वर्ण पदक	प्रो. पी.पी. सिंह
56	कला निकाय में सर्वाधिक अंक	स्व. पं. गंगाप्रसाद मिश्र स्वर्ण पदक	डॉ. सुरुचि मिश्रा
57	विज्ञान निकाय में सर्वाधिक अंक	स्व. श्री नारायण प्रसाद श्रीवास्तव स्वर्ण पदक	प्रो. आर.के. श्रीवास्तव
58	वाणिज्य निकाय में सर्वाधिक अंक	स्व. प्रो. बी.के. तिवारी स्वर्ण पदक	श्रीमती वीणा तिवारी
59	महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा	स्व. श्रीमती सरला खन्ना स्वर्ण पदक	डॉ. आर.एस. खन्ना
60	महाविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्र	स्व. श्रीमती सरस्वती देवी पाठक स्वर्ण पदक	डॉ. गीता पाठक
61	पी.जी.डी.सी.ए.	स्व. श्री दीपचंद जी लोहिया स्वर्ण पदक	श्री राजेन्द्र, नरेन्द्र, सुरेन्द्र लोहिया

62	एन.सी.सी. नेवल	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
63	बी.जे.एम.सी. प्रथम	स्व. श्री चंद्रकांत ठाकुर स्वर्ण पदक	श्रीमती माधुरी ठाकुर
64	बी.जे.एम.सी. द्वितीय	स्व. श्रीमती नीला तिवारी स्वर्ण पदक	कु. आभा तिवारी
65	बी.जे.एम.सी. अंतिम	स्व. श्री एस.डी. भारती स्वर्ण पदक	श्री रामजी भारती
66	डी.सी.ए.	स्व. श्रीमती बीना पानी गांगुली स्वर्ण पदक	डॉ. श्रीमती कमल मुखर्जी
67	बी.सी.ए.—प्रथम वर्ष	स्व. श्रीमती मीना देवांगन स्वर्ण पदक	डॉ. कैलाश कुमार देवांगन
68	बी.सी.ए.—द्वितीय वर्ष	स्व. श्रीमती मणि बेन पटेल स्वर्ण पदक	श्री रमेश पटेल
69	बी.सी.ए.—तृतीय वर्ष	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
70	एम.ए. पूर्व—एम.एस.डब्ल्यू	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
71	एम.ए. अंतिम— एम.एस.डब्ल्यू	श्रीमती ईश्वरी साह स्वर्ण पदक	श्रीमती ललिता साहू
72	एम.एस.सी. पूर्व—बायोटेक	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
73	एम.एस.सी. अंतिम— बायोटेक	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
74	एम.एस.सी. पूर्व—कम्प्यूटर साइंस	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
75	एम.एस.सी. अंतिम— कम्प्यूटर साइंस	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
76	एम.एस.सी. पूर्व— माइक्रोबायलाजी	स्व. श्री विठ्ठल राव बुराडे स्वर्ण पदक	श्री निश्चल बुराडे
77	एम.एस.सी. अंतिम— माइक्रोबायलाजी	स्व. अतुल पांडेय स्वर्ण पदक	श्री रईस अहमद शकील
78	टैली	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद, स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
79	योगा	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
80	रेडक्रास	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद, स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
81	एन.एस.एस. (छात्रा)	स्व. श्री अनिल शुक्ला	श्रीमती शीला शुक्ला
82	एन.सी.सी. नेवल (विशेष उपलब्धि)	स्व. श्रीमती जशोदा देवी बैद, स्वर्ण पदक	श्री कुशल चंद जी बैद
83	बी.ए. अर्थशास्त्र अंतिम	स्व. श्रीमती जमुनाबेन माड़िकलाल नाथवानी स्वर्ण पदक	डॉ. चंद्रिका नाथवानी
84	बी.कॉम. अंतिम आयकर	स्व. रविन्द्रनाथ ठाकुर	प्रो. स्वयं सिद्धा झा

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)
(सत्र 2023-24)

प्राचार्य. डॉ. के.एल. टांडेकर - 9424111204

नियमित प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों की सूची

स. क्र.	पदनाम	विषय	प्राध्यापक, सहा., प्राध्यापकों के नाम	हस्ताक्षर
1	सहा.प्रा.	हिन्दी	डॉ. एस.एम.राय	9893863548
2	सहा.प्रा.		डॉ. बी.एन.जागृत	9424111402
3	सहा.प्रा.		डॉ. प्रवीण साहू	9407621289
4	सहा.प्रा.	अंग्रेजी	डॉ. नीलू श्रीवास्तव	9826180432
5	सहा.प्रा.		डॉ. अनिता शंकर	9993788350
6	सहा.प्रा.		डॉ. अनिता साहा	9981375286
7	सहा.प्रा.		सुश्री मंजरी सिंह	9039209294
8	सहा.प्रा.		डॉ. आराधना गोस्वामी	6266987911
9	सहा.प्रा.	संस्कृत	डॉ. दिव्या देशपाण्डे	7415884643
10	सहा.प्रा.		डॉ. ललित प्रधान आर्य	8076199482
11	प्राध्यापक	अर्थशास्त्र	डॉ. डी.पी. कुरे	9407617760
12	प्राध्यापक		डॉ. सुमीता श्रीवास्तव	9424116234
13	सहा.प्रा.		डॉ. मीना प्रसाद	9584335301
14	सहा.प्रा.		डॉ. महेश श्रीवास्तव	9329508550
15	प्राध्यापक	राजनीति	डॉ. अन्जना ठाकुर	9826513123
16	प्राध्यापक		डॉ. अमिता बख्शी	9826308571
17	सहा.प्रा.		डॉ. राजकुमार बंजारे	9407656278
18	सहा.प्रा.		श्री संजय सप्तऋषि	9453636707
19	सहा.प्रा.	इतिहास	डॉ. शैलेन्द्र सिंह	9424126385
20	सहा.प्रा.		श्री हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर	8103023517

21	सहा.प्रा.	भूगोल	डॉ. के.एन. प्रसाद	9424105794
22	सहा.प्रा.		डॉ. एस.जेनामणी	9425557065
23	सहा.प्रा.	समाजशास्त्र	डॉ. ए.के. मंडावी	9993242447
24	सहा.प्रा.		श्रीमती ललिता साहू	7089883734
25	सहा.प्रा.	दर्शनशास्त्र	डॉ. एच.एस.अलरेजा	9425245714
26	सहा.प्रा.	वाणिज्य	डॉ. एच.एस.भाटिया	9893959436
27	सहा.प्रा.		डॉ. एस.के.उके	9424115744
28	सहा.प्रा.		श्री एच.सी. जैन	9826471807
29	सहा.प्रा.		श्री संजय कुमार देवांगन	9303671713
30	सहा.प्रा.		श्रीमती सुमन कोचर	9098757006
31	सहा.प्रा.		सुश्री रागिनी	8817751682
32	सहा.प्रा.		भौतिक	डॉ. प्रीतिबाला टांक
33	सहा.प्रा.	डॉ. सुरेश कुमार पटेल		9479132628
34	सहा.प्रा.	श्री लेखा प्रसाद उर्वशा		9340744565
35	सहा.प्रा.	रसायन	प्रो. गोकुल राम	9752512297
36	सहा.प्रा.		डॉ. प्रियंका सिंह	9630942593
37	सहा.प्रा.		श्री विकास काण्डे	9630710900
38	सहा.प्रा.		श्री युनुस रजा बेग	7999458508
39	सहा.प्रा.		डॉ डाकेश्वर कुमार वर्मा	9993623996
40	सहा.प्रा.		श्रीमती रीमा साहू	7999651208
41	सहा.प्रा.		डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा	9462137069
42	सहा.प्रा.		प्रो. वंदना मिश्रा	6260533910
43	प्राध्यापक	गणित	डॉ. शबनम खान	9926113751
44	सहा.प्रा.		डॉ. के.के.देवांगन	9827185443

45			डॉ. हेमंत कुमार साव	9425566260
46			श्रीमती कविता साकुरे	8817329005
47	प्राध्यापक	वनस्पति	डॉ. अनिता महिश्वर	9424126727
48	सहा.प्रा.		डॉ. सोनल मिश्रा	8120056512
49	सहा.प्रा.		डॉ. त्रिलोक कुमार	9770888726
50	सहा.प्रा.		डॉ. केशव राम आडिल	9770130757
51	सहा.प्रा.	प्राणिशास्त्र	श्रीमती किरणलता दामले	7803048494
52			डॉ. संजय ठिसके	9826482968
53	सहा.प्रा.		डॉ. माजिद अली	7587047077
54	सहा.प्रा.		डॉ. गुरप्रीत सिंह भाटिया	8839259717
55	सहा.प्रा.		श्री चिरंजीव पाण्डेय	8770834824
56	सहा.प्रा.		श्रीमती करुणा रावटे	9752532746
57	सहा.प्रा.	बायोटेक्नोलाजी	डॉ. प्रमोद महीश	9993231765
58	सहा.प्रा.	मानव शास्त्र	डॉ. अंजली मोहन कोडोपी	9407711989
59	सहा.प्रा.	कम्प्यूटर साईन्स	श्री राजू खूटे	9425545398
60	सहा.प्रा.	कम्प्यूटर एप्ली	श्रीमती हेमपुष्पा	8305055032
61	सहा.प्रा.	माइक्रोबायोलाजी	श्रीमती सविता चन्द्रवंशी	7389868986
62	सहा.प्रा.	विधि	श्री हेमंत नन्दागौरी	9340442644

अधिकारियों की सूची

स. क्र.	पदनाम	अधिकारियों के नाम	मोबाईल नंबर
1	रजिस्ट्रार	श्री दीपक कुमार परगनिहा	9993245922
2	क्रीडाअधिकारी	श्री अरुण कुमार चौधरी	9826141288
3	ग्रंथपाल	श्री परस राम	9575002711

तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची 2023-24

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची

स.क्र.	पदनाम	कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं.
1	2	3	4
1	सहायक ग्रेड-01	श्री जी.डी. वैष्णव	9407659002
2	सहायक ग्रेड-02	श्रीमती मंजूषा बाजपेयी	9827222329
3	सहायक ग्रेड-02	श्री जावेद सिद्दीकी	9893949461
4	सहायक ग्रेड-03	कु. मुस्कान मण्डावी	9406385716
5	सहायक ग्रेड-03	श्री हेमंत साहू	
6	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	श्री भूपेन्द्र देवांगन	9425561030
7	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	श्री प्रमोद सिंह	9329877850
8	प्रयो.तकनीशियन	श्री एम.टेम्भूरकर	9424119795
9	प्रयो.तकनीशियन	श्री एस.एल.देवांगन	9424130214
10	प्रयो.तकनीशियन	श्री केदार नाथ साहू	8120925040
11	प्रयो.तकनीशियन	श्री मोहन लाल चन्द्रवंशी	9301745271
12	प्रयो.तकनीशियन	श्री मोहित कुमार टण्डन	8224817061
13	प्रयो.तकनीशियन	श्री टिकम दास कोसरे	7770992818
14	प्रयो.तकनीशियन	श्रीमती संतुला देवांगन	7587046690
15	प्रयो.तकनीशियन	श्री निर्मल कुमार बंजारे	8959939208
16	प्रयो.तकनीशियन	श्री वृन्दावन चक्रभुजी जांगड़े	7389539794
17	प्रयो.तकनीशियन	श्रीमती पदमादेवी	7879639946

18	प्रयो.तकनीशियन	श्री नादिर इकबाल	8109526442
19	प्रयो.तकनीशियन	श्रीमती आरती बोरकर	6260634199
20	प्रयो. परिचारक	श्री अमितेष वैष्णव	
21	प्रयो. परिचारक	श्री किशोर कुमार बंजारे	9301804759
22	प्रयो. परिचारक	श्री पंकज कुमार झा	9981185258
23	प्रयो. परिचारक	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा	9753407398
24	प्रयो. परिचारक	श्री शेख वाहिद सिद्दीकी	9691410766
25	प्रयो. परिचारक	श्री सुनील सिंह	9752112711
26	प्रयो. परिचारक	श्री राहुल देव देवांगन	
27	प्रयो. परिचारक	श्री खेमनलाल	
28	प्रयो. परिचारक	श्री अमोल नशीने	9303474748
29	भृत्य	श्री शंकर सिंह ठाकुर	9691824650
30	भृत्य	श्री रामू पाटिल	9993989396
31	भृत्य	श्री रवि कुमार	8103838798
32	बुकलिफ्टर	श्रीमती बसंती	9479120976
33	बुकलिफ्टर	श्री एस.एल.वर्मा	9098627504
34	स्वीपर	श्री के. चंद्रशेखर चन्नेया	7225957702
35	छात्राकक्ष परिचारिका	कु. मीरा पाण्डेय	8305045410
36	माली	श्री कामता प्रसाद	9302161041
37	गैसमेंन	श्री विनोद राव वाडबुदे	8959272057

विद्यार्थियों हेतु विभिन्न प्रपत्र का प्रारूप का नमूना

Application for Library Membership

Admission Number Category.....

Class..... Form No.& Date.....

प्रति,
 प्राचार्य,
 शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

योजना का नाम (SC/ST/BPL/GEN)

SPL CASE (for 3books extra) (Naxal/Phc/Merit)

अल्पसं० वर्ग (Minority) से हां / नहीं यदि हां तो धर्म

विषय:- GEN/SC/ ST/BPL हेतु महाविद्यालय के बुक बैंक/प्रमुख पुस्तकालय से
 पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन सत्र 2022-23

1. छात्र/छात्रा का नाम - जन्म तिथि

2. कक्षा -

3. पिता का नाम - श्री..... अल्पसं० वर्ग से हां / नहीं यदि हां तो धर्म

4. पूर्ण स्थायी पता ग्राम- पोस्ट- थाना - तहसील -
 जिला - पिन कोड नं -

मोबाइल/फोन नं
 ई मेल का सही सही पता

5. स्थानीय पूर्ण पता -

6. अध्ययनरत विषय -

7. वांछित पुस्तकों का नाम -

8. जाति - SC/ST/OBC/GEN.....

9. महाविद्यालय प्रवेश क्र. (Admission no)...../2020-21.

10. महाविद्यालय में सर्वप्रथम प्रवेशित कक्षा का नाम..... प्रथम प्रवेश दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सत्य है। मैंने बुक बैंक/ पुस्तकालय के नियमों का अध्ययन कर लिया है एवं मुझे मान्य है। मैं निर्गत पुस्तकों को सही हालत में वार्षिक परीक्षा 2023 के पूर्व जमा करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मुझे ज्ञात है कि, वार्षिक परीक्षा तक पुस्तकें रखने हेतु अलग से आवेदन (ST/SC/ अतिरिक्त सुरक्षा राशि) जमा करना आवश्यक है।

दिनांक..... छात्र/छात्रा का नाम हस्ताक्षर सहित:-.....

पिता/अभिभावक का घोषणा पत्र

मैं..... पिता/अभिभावक का नाम

आपके महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत कक्षा का पिता/पालक हूँ एवं पुस्तकालय से निर्गत पुस्तकों को वापस करवाने का दायित्व ग्रहण करता हूँ।

दिनांक..... पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

(मोबाइल/फोन)नं STD Code सहित

सहपत्र:- (1) अंकसूची(अहर्कारी उत्तीर्ण परीक्षा) की छायाप्रति। पुरक प्राप्त छात्र परीक्षा उत्तीर्ण उपरान्त आवेदन जमा करें।
 (2) जाति (SC/ST/BPL) के प्रमाणपत्र की छायाप्रति.
 (3) नवीनीकृत परिचय पत्र (सामने) की छायाप्रति.
 (4) तीन अतिरिक्त पुस्तकें हेतु मेरिट/Physically Challenged/Naxal Hit family प्रमाणपत्र।
 (5) आधार कार्ड की छायाप्रति।

ग्रंथपाल
 शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

प्राचार्य
 शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
ग्रंथालय
पुस्तकालय अपलेखित फॉर्म

प्रति,

प्राचार्य महोदय जी

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- पुस्तकें गुम हो जाने से कीमत या राशि जमा करने की अनुमति बावत्।

महोदय,

आपसे सविनय निवेदन है कि मैंकक्षा/विभाग.....
की (छात्र/छात्रा/पदनाम)हूँ/था/थी। ग्रंथालय से मिली पुस्तक मुझसे
गुम हो गया /गयी है। जो वर्तमान समय में यह पुस्तक बुक डिपों/नये संस्करण में उपलब्ध नहीं है।
जिसके कारण मैं गुम हुई पुस्तक की धनराशि का भुगतान करना चाहता/चाहती हूँ।

अतः आपसे सविनय निवेदन है कि उक्त पुस्तक की राशि जमा करने की अनुमति प्रदान करें।

स्थान :- राजनांदगांव

दिनांक

प्रार्थी

नाम -

कक्षा/विभाग -

छात्र/छात्रा/पदनाम -

महाविद्यालय का नाम -

पुस्तकालय अपलेखित रजिस्टर क्रमांक -/पुस्तकालय/.....

पुस्तकालय परिग्रहण संख्या एवं पृष्ठ क्रमांक दिनांक

आदेश

पुस्तकें गुम हो जाने की जमा करने की राशि/रूपए (अंकों में)..... शब्दों में

महाविद्यालय रसीद क्रमांक/पु. क्र. /दिनांक

इसके अंतर्गत जमा किए जाने के कारण पुस्तक परिग्रहण पंजी TOL, OBB, BPL, ML, ST, एवं SC की
उक्त पुस्तकें अपलेखित की जाती हैं।

गुम हुई पुस्तकों का विवरण /या संलग्न सूची का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	परिग्रहण क्र. (Acc. No.)	श्रेणी (Cat.)	लेखक का नाम (Author's Name)	आख्या का नाम (Title's Name)	मूल्य (Price)

संलग्न -1

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

1. मैं.....(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/.....(संस्था का नाम).....में प्रवेश हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिये यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की, उसको सावधानी पूर्वक पढा और पूर्णतः समझा।
2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका-3 का अध्ययन किया और रैंगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।
3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैंगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षडयंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि—
 - (अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूंगी जो कि कंडिका-3 के नियम के अंतर्गत रैंगिंग की श्रेणी में आता हो।
 - (ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूंगा/बनूंगी जो कंडिका-3 रैंगिंग के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैंगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और न ही प्रवेश के लिये वर्जित किया गया न ही रैंगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने में सहायता करने या षडयंत्र में अपराधी पाया गया/गयी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। घोषणा की दिनांक.....माह.....वर्ष.....।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित सभी तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं और कोई भी तथ्य असत्य नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान).....(दिन).....(माह).....(वर्ष).....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लेखित नियमों का अध्ययन कर (दिन).....माह.....वर्ष.....
को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

संलग्न - 2

माता-पिता / अभिभावक का शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कु..... (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम)

.....(छात्र का पूरा नाम, प्रदेश, पंजीयन/नामांकन संख्या सहित)

.....(संस्था का नाम)

.....में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने

हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानीपूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका - 3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।
3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि -
(अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका - 3 के अंतर्गत आता है।
(ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका-3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।
5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।
6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी भी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न ही प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा की दिनांक (माह)..... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

फोन/मोबाइल नंबर

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान) (दिन)..... (माह)..... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ-पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर (दिन)..... (माह)..... वर्ष को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

कन्या छात्रावास

शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

// छात्रावास नियमावली //

1. छात्रावास में प्रवेश हेतु प्रत्येक छात्र को शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में प्रविष्ट होना अनिवार्य है। सीट रिक्त होने पर स्थानीय अन्य शासकीय महाविद्यालय की छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु विचार किया जा सकता है।
2. प्रवेश होने के उपरांत छात्र को छात्रावास तथा महाविद्यालय में नियमित उपस्थिति अनिवार्य है।
3. छात्रावास में प्रवेशित छात्र को छात्रावास के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य है।
4. प्रत्येक छात्र को छात्रावास के नियमों-निर्देशों तथा शासकीय आदेशों का पालन पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करना होगा।
5. छात्रावास में प्रवेशित छात्र को निश्चित समय पर नाश्ता एवं भोजन करना अनिवार्य है।
6. प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति छात्रावास में प्रवेश नहीं करेगा और न ही निवास करेगा।
7. छात्रावास के प्रत्येक सामग्री की सुरक्षा एवं साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना नितात आवश्यक है।
8. किसी भी अवसर पर कोई छात्र अधीक्षक की अनुमति के बिना छात्रावास परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
9. छात्रावास की सामग्री नष्ट करने पर संबंधित छात्र से क्षतिपूर्ति ली जावेगी।
10. छात्रों में आपसी बंधुत्व भावना, परस्पर सहयोग, अनुशासन एवं सद्व्यवहार से निवास करना होगा।
11. छात्रावास में असंयम, अभद्रता, उदण्डता बरतने तथा नियमों-निर्देशों की अवहेलना करने पर छात्र के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
12. संस्था के साथ ही छात्रावास में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंध है। रैगिंग करते पाये जाने / शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
13. पालक प्रत्येक परिवार को प्रातः 08:00 बजे से संध्या 05.00 बजे तक ही छात्रावास में मिल सकते हैं।
14. संबंधित छात्र के पालक, जिनका फोटो जमा किया गया है वे ही मिलने के लिए आ सकेंगे। अन्य व्यक्तियों को मिलने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

आदेशानुसार
प्राचार्य एवं संरक्षक
शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव

छात्रावास में प्रवेश पाने के लिए नवीन/नवीनीकरण आवेदन पत्र

प्रति,

प्राचार्य,
शास.दिविजय स्नातकोत्तर महा.
राजनांदगांव (छ.ग.)

नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो स्वयं
द्वारा सत्यापित

//व्यक्तिगत विवरण//

1. पंजीकरण का प्रकार : (नवीन/नवीनीकरण)
2. छात्र का नाम :
3. छात्र के पिता का नाम :
4. छात्र के माता का नाम :
5. छात्र के पिता का व्यवसाय :
6. छात्र के माता का व्यवसाय :
7. पिता/पालक की वार्षिक आय (रूपये में) :
8. छात्रा का वर्ग (SC / ST / OBC / GEN) :
9. जाति धर्म
10. छात्र का आधार नम्बर :
11. छात्र की जन्मतिथि :

स्थायी पता :-

12. छात्र का स्थायी पता :
13. विकासखंड जिला
14. छात्र के घर से महाविद्यालय की दूरी : कि.मी.

वर्तमान महाविद्यालय का नाम जिसमें प्रवेश लेकर चालू वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहा है ।

15. महाविद्यालय का नाम :
16. छात्र का वर्तमान कक्षा :
17. महाविद्यालय प्रवेश दिनांक :

पिछली उत्तीर्ण कक्षा का परिणाम :-

18. उत्तीर्ण कक्षा उत्तीर्ण वर्ष
19. परीक्षा परिणाम प्रतिशत/ग्रेड (A+, A,B,C,D)
20. पूर्व में किस शाला में अध्ययनरत् थे :

// घोषणा //

मैं घोषणा करती हूँ कि उपर दी गई कमांक 1 से 20 तक की जानकारी सही एवं सत्य है । किसी प्रकार के असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा, इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे । मैं छात्रावास के सभी नियमों का पालन करने का वचन देती हूँ ।

आवेदक का हस्ताक्षर

मेरी पुत्री/पाल्य उक्त संस्था में प्रवेश पाना चाहता है। आपके छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है तो मेरे पुत्र/पुत्री छात्रावास के जो भी नियम एवं शर्त होंगे, उसे पूर्णतः पालन करेगा। यदि किसी प्रकार का नियम एवं शर्त का पालन करते नहीं पाये जाते है तो मेरे पुत्र/पुत्री को छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मुझ षपथकर्ता का होगा।

पिता का निवास का पूरा पता ग्राम.....पोस्ट

विकासखंड तहसील जिला (छत्तीसगढ़)

पिन मोबाईल नं.

पिता का हस्ताक्षर

स्थानीय पालक का विवरण :-

स्थानीय पालक का पूरा नाम छात्रा से संबंध :

मोबाईल नं.

स्थानीय पालक के निवास का पूरा पता

पालक का हस्ताक्षर

संलग्न अभिलेखों का विवरण -

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 2. | 3. |
| 4. | 5. | 6. |
| 7. | 8. | 9. |

संस्था प्रमुख का प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक कुमारी/श्रीमतीकक्षा द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित जन्मतिथि, निवास स्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित कक्षा और परीक्षा के संबंध में दिए गए विवरण विद्यालय के पंजी के अनुसार सही है एवं विद्यार्थी द्वारा दर्शाये गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनारक्षित संबंधी जानकारी महाविद्यालय के पंजी अनुसार सही है। छात्र का कक्षा में प्रवेश की तारीख..... है।

संस्था प्रमुख हस्ताक्षर
एवं पद मुद्रा

छात्रावास अधीक्षक द्वारा दी जाने वाली जानकारी

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि

चयन समिति के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख

समिति का मत रिमार्क

प्राचार्य की अनुमति

छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षिका
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

प्राचार्य
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा



शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय

राजनांदगांव (छ.ग.) 491441

(केवल स्वच्छासी परीक्षा के लिए)

अंकों की पुर्नगणना / उत्तरपुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन - पत्र

(1) आवेदक का नाम एवं पता

: _____

M.No

(2) परीक्षा का नाम

: _____ वर्ष _____

(3) अनुक्रमांक (रोल नम्बर)

: _____

(4) इन्वोल्वमेंट/रजिस्ट्रेशन नम्बर

: _____

(5) परीक्षा केन्द्र का नाम

शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

(6) महाविद्यालय कार्यालय में परीक्षा का परिणाम घोषित होने की तिथि

: _____

(7) पुर्नगणना/पुर्नमूल्यांकन हेतु स्वीद क्र.

दिनांक : _____ राशि _____

क्र.	विषय / प्रश्न पत्र जिसकी पुर्नगणना या पुर्नमूल्यांकन करना है	मूल प्राप्तांक	रिमांक
अध्यादेश क्रमांक 5 एवं 6 में वर्णित शर्तों को मान्य करता हूँ। नोट :- पूरक द्वितीय को पुर्नमूल्यांकन की पात्रता नहीं है। दो से अधिक विषयों/समूह में अनुत्तीर्ण को पुर्नमूल्यांकन की पात्रता नहीं है।		कुल प्रश्न पत्र -	

आवेदक के हस्ताक्षर

पावती

श्री/कु.

कक्षा

फार्म क्रमांक

दिनांक

को प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन क्रमांक

9875

प्रवेश सूची क्र. गुणानुक्रम क्र.

विद्या सर्वस्य भूषणम्

प्रवेश क्रमांक



शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव

दिनांक

जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) 491 441

आवेदन - पत्र आवेदक द्वारा स्वयं भरा जावे.

अपूर्ण/अस्पष्ट आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे.

निकाय - कला/वाणिज्य/विज्ञान

पासपोर्ट साइज
का फोटो
यहाँ गोंद
से चिपकाएं

कक्षा ----- खण्ड -----

ग्रुप समूह -----

संवर्ग सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/विकलांग/अल्पसंख्यक

लिंग - महिला / पुरुष / तृतीय लिंग

वैकल्पिक विषय 1. ----- 2. -----

3. ----- 4. -----

1. नाम (हिन्दी में) ----- (ब्लड ग्रुप) -----

(अंग्रेजी में) (CAPITAL LETTERS) -----

2. जन्म तिथि (अंकों में) ----- (शब्दों में) -----

3. पिता का नाम ----- माता का नाम -----

4. पिता न हो तो पोषक (अभिभावक) का नाम -----

5. पिता/पोषक/अभिभावक/ का पद/व्यवसाय ----- वार्षिक आय -----

6. स्थायी पता -----

मोबाईल/दूरभाष ----- ई-मेल -----

7. स्थानीय अभिभावक का नाम एवं स्थानीय पता -----

8. क्या आवेदक छ.ग. का निवासी है यदि हां तो किस स्थान का ----- पिता/संरक्षक के छ.ग. में रहने की अवधि -----

9. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग ----- उप जाति -----

(अ) क्या बी.पी.एल. श्रेणी (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले) के अंतर्गत आते हैं - हाँ / नहीं

(यदि हां तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

10. पिता/माता शासकीय सेवा में हो तो पदनाम -----

श्रेणी- प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ ----- कहाँ सेवारत है -----

11. पिछली उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	रोल नं.	प्राप्तांक	कुल	प्रतिशत	नियमित/स्वाध्यायी

विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त नामांकन अंक

नोट : नवीन प्रवेशित छात्रों को 15 अगस्त के पूर्व कार्यालय से नामांकन फार्म प्राप्त कर जमा करना होगा, अन्यथा समस्त जवाबदेही विद्यार्थी की होगी।

12. किसी परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पकड़े गए हो उसका विवरण :-----
13. (अ) शैक्षणिक - पाठ्येत्तर गतिविधियां, खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस. आदि गतिविधियों में आवेदक द्वारा अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियां (प्रमाण-पत्र के साथ अंकित करें)
14. क्या आवेदक ने गत वर्ष या इसके पूर्व इस महाविद्यालय की किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण -
- (1) कक्षा----- (2) सत्र-----
- (3) अ. कब से कब तक-----
- ब. क्या आवेदक ने स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है। यदि हाँ तो स्थानांतरण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
15. क्या आवेदक सेवारत है। यदि हाँ तो उसका विवरण -

घोषणा

1. मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सही है। मैं नियमित छात्र/छात्रा के रूप में ----- परीक्षा सन् ----- में उत्तीर्ण कर ली है। अतः शासन के नियमानुसार मुझे आवेदित कक्षा में प्रवेश की पात्रता है।
2. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के उपस्थिति एवं अनुशासन के नियमों का पालन करूंगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे महाविद्यालय की गौरवशाली परम्परा को आघात पहुंचे। मुझे प्रवेश संबंधी प्राचार्य महोदय के सभी निर्णय मान्य होंगे।
3. यदि मेरी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होता है तो मुझे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा।

दिनांक-----

विद्यार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

पिता/अभिभावक का घोषणा-पत्र

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुत्र/पुत्री/पाल्य द्वारा इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय विवरणिका के नियमों एवं व्यवस्थाओं का मैंने भलीभांति अध्ययन कर लिया है। मैं महाविद्यालय में पाल्य के अध्ययनकाल में उसके आचरण कार्यों, उपस्थिति तथा उत्तरोत्तर प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान दूंगा एवं वर्ष में दो बार प्राचार्य से मुलाकात करूंगा तथा इनके लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा तथा नियमों का अनुशासित रहकर निष्ठापूर्वक अनुपालन मेरे पाल्य द्वारा किया जावेगा, अन्यथा स्थिति में उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान-----

दिनांक-----

पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

GOVT. DIGVIJAY AUTONOMOUS COLLEGE, RAJNANDGAON (C.G.)

Note - Fill up the form in English Using Capital Letters, Where ever Boxes have been provided, a tick mark should be placed in the appropriate box. Before filling read the complete form.

Name of the Class Admissin No.
Date

Student's Name : Shri / Smt. / Ku.

Father/Husband Name Mr. :

Mother Name Mrs. :

Address.Permanent :

Phone -

Address Local :

Phone -

Sex : Male Female Third Gender Medium : English Hindi

Caste : SC ST OBC General Handicapped Minority

Date of Birth : - - Blood Group :

Subject Offered for Study (Include Addl. Subjects if any) :

S.No.	Full Name of the Subject	S.No.	Full Name of the Subject
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Subject Offered for Study (Include Addl. Subjects if any) :

	Roll No.	Year of Passing	Marks Obt.	Percent	Name of Board/University
1. Higher Secondary					
2. B.A.,B.Sc., B.Com Part 1					
3. B.A.,B.Sc., B.Com Part 2					
4. B.A.,B.Sc., B.Com Part 3					
5. M.A.,M.Sc., M.Com Prev.					
6. M.A.,M.Sc., M.Com Final					

Occupation of Father / Gurdian

Annual Income of Father / Gurdian

Have you Joined NCC / NSS - NCC NSS Youth-Red Cross No

Mention Your Achievements in sports, Cultrual activities -

Signature of Students

16. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र को मैंने स्वयं भरा है तथा इसमें दी गई समस्त जानकारी सत्य है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण - पत्र निम्नानुसार है -

संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची - (जो आवश्यक न हो उसे काट दें)

1. विद्यालय/वि.वि./महाविद्यालय छोड़ने का मूल स्थानांतरण प्रमाण - पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति प्रवेश शुल्क पटाते समय मूल - टी.सी. जमा किया जावे।
2. नय छात्र / छात्राओं के लिए पासपोर्ट साइज की दो फोटो एवं गत वर्ष के नियमित छात्र-छात्राएं अपना परिचय पत्र संलग्न करें।
3. पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. निवास का प्रमाण - पत्र (यदि स्थानांतरण प्रमाण - पत्र में तीन वर्षों तक छ.ग. में अध्ययन का उल्लेख हो तो इस प्रमाण- पत्र की आवश्यकता नहीं है)
5. यदि पिछली परीक्षा असंस्थागत छात्र (प्रायवेट) के रूप में उत्तीर्ण की हो तो दो व्यक्तियों से दो चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न किए जावें।
6. यदि शासकीय कर्मचारी हो तो नियोक्ता का स्वीकृत पत्र संलग्न करें।
7. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/पिछली जाति/विभुक्त जाति/विगलंग/छात्र तदनुसार प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें।
8. शासकीय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री माता/पिता के छत्तीसगढ़ के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी होने का प्रमाण पत्र मूल प्रति।
9. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर/छत्तीसगढ़ बोर्ड के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय/बोर्ड की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट), विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक -----

पूरा नाम -----

प्रवेश हेतु अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

(प्रभारी प्राध्यापक)

(पूरा नाम -----)

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

जानकारी विवरण के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र अंक सूची आदि फोटो प्रति संलग्न की गई है।

1. परिचय पत्र मूल प्रति - नए छात्रों से परिचय पत्र हेतु फोटो के पीछे नाम, कक्षा लिखा गया है।
2. स्थानांतरण पत्र/चरित्र प्रमाण-पत्र।
3. पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची की फोटो प्रति।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के प्रमाण - पत्र की फोटो प्रति।
5. माता /पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण - पत्र की मूल प्रति।
6. मृत शासकीय कर्मचारी के पुत्र होने के प्रमाण - पत्र की मूल प्रति।
7. कम्प्यूटर फार्म।

जाँच कर्ता के हस्ताक्षर

8.

(पूरा नाम)

9.

दिनांक -----

शासकीय दिग्विजय स्वाशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

अकादमिक / शिक्षक अभिभावक प्रपत्र सत्र 201..... / 201....

1. छात्र / छात्रा का नाम ----- कक्षा -----
2. छात्र का प्रवेशांक ----- नामांकन क्रमांक -----
3. पिता का नाम श्री ----- माता का नाम श्रीमती -----
4. वर्ग ----- रक्त समूह ----- जन्म तिथि -----
5. स्थायी पता एवं दूरभाष / मोबाईल क्रमांक -----

6. स्थानीय पता एवं दूरभाष / मोबाई क्रमांक -----

7. परिवार के सदस्यों की संख्या ----- परिवार का मुख्य पेशा -----
8. परिवार की वार्षिक आय -----
9. छात्र की अभिरुचियाँ -----
(कला, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रमों)
10. एन.सी.सी./एन.एस.एस. / खेलकूद -----
11. छात्र द्वारा दिये गये आंतरिक एवं सत्रीय परीक्षा का विवरण -

फोटो

क्र.	विषय	प्रश्न पत्र	ईकाई परीक्षा				त्रैमासिक परीक्षा	छेमासिक परीक्षा	पूर्ण वार्षिक परीक्षा	प्राध्यापक के हस्ता.
			I	II	III	IV				

12. विद्यार्थी का समग्र व्यवहार : -----

13. समस्याएँ : -----

14. समाधान के लिए लिये गये प्रयास : -----

15. उपस्थिति की स्थिति : कुल कार्य दिवस उपस्थिति दिन प्रतिशत

16. प्रयोगिक कार्य का विवरण : -----

17. द्यूटोरियल विवरण : -----

18. सेमीनार / परिचर्चा में भागीदारी : -----

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर पालक के हस्ताक्षर प्रभारी प्राध्यापक के हस्ताक्षर

खाता क्रं.

नवीन / नवीनीकरण आवेदन पत्र

छ.ग. राज्य की बी.पी. एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति

बी.पी.एल. वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए जो राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् है -

भाग (अ) - प्रविष्टियां आवेदक द्वारा स्पष्ट अक्षरों में भरी जावे

महाविद्यालय का नाम जहा छात्र अध्ययनरत् है

छात्रवृत्ति का नाम

सत्र

कक्षा

प्रवेश दिनांक

आवेदक का पासपोर्ट साइज का फोटो जो संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित हो, चिपकाना अनिवार्य है।

1. आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में श्री / श्रीमती / कुमारी
2. कक्षा संकाय :
3. प्रवेश की तिथि (प्राचार्य प्रमाणित कर)
4. नियमित / स्वाध्यायी
5. जाति / वर्ग- अनु.जा. / अ.ज.जा. / पिछड़ा वर्ग / सामान्य :
6. धर्म :
7. निवास स्थान / पत्र व्यवहार का पता:
8. स्थायी पता :
9. छत्तीसगढ़ का निवास हो- प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. माता / पिता / पति का नाम (पूरा नाम लिखे)
11. माता / पिता की वार्षिक आय / क्या माता पिता गरीबी रेखा के नीचे (बी.पी.एल.) की श्रेणी में आते हैं ?
हाँ / नहीं, हाँ तो बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र / कार्ड अनिवार्य रूप से संलग्न करें
12. पालक का नाम
- पता
13. आवेदक से संबंध
14. क्या पिछली परीक्षा प्रथम प्रयास से उसी वर्ष उत्तीर्ण किया है
15. पिछली परीक्षा का विवरण

परीक्षा का नाम	महाविद्यालय का नाम	संस्था/विश्वविद्यालय या मंडल का नाम	वर्ष	परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण है तो श्रेणी	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

(संस्था प्रमुख द्वारा भरा जाय, जहां आवेदक अध्ययन कर रहा हो)

1. क्या आवेदक आपके संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया है। हाँ / नहीं, यदि हाँ तो बताये
.....
पाठ्यक्रम की अवधि
2. (अ) क्या आवेदक को शिक्षण शुल्क भुगतान में छूट दी गई है ? - हाँ / नहीं
- (ब) यदि हाँ तो बतावें किस प्रकार व कितनी छुट दी गई

फीस का विवरण	राशि	आवेदक द्वारा देय राशि	रिमार्क
कुल -			

3. (अ) क्या आवेदक के प्रवेश शुल्क का भुगतान जनभागीदारी फंड से की गई है ? हाँ / नहीं
- (ब) यदि हाँ तो उपरोक्त 2 (ब) अनुसार विवरण दिया जावे।
- (स) 1. आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जांची गई है एवं वह सही है।
2. आवेदक जिस पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहा है वह उच्च शिक्षा, सामान्य शिक्षा के अंतर्गत है एवं मैं वचन देता हूँ / देती हूँ कि आवेदक की छात्रवृत्ति की रकम उद्देश्यानुसार / नियमानुसार भुगतान किया जाकर पूर्ण लेखा जोखा का संधारण कर नियमित रूप से उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को भेजता रहूंगा। रहूंगी। यदि आवेदक संस्था छोड़ दे या अध्ययन जारी न रखे या अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार कर ले तो तत्काल छात्रवृत्ति प्राधिकारी को सूचित किया जावेगा। एवं भुगतान बंद कर दिया जायेगा। तथा संस्था के पास बची अवितरित अतिरिक्त राशि शासकीय लेखे में वापिस जमा कर दी जायेगी।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

स्थान

नाम

दिनांक

पद नाम

संस्था की मुहर

- नोट :-
1. यह आवेदक 15 अगस्त तक प्राचार्य / संस्था प्रमुख के पास जमा होना चाहिए। (सूचना नोटिस बोर्ड में चर्चा करें एवं कक्षाओं में प्रसारित करें)
 2. आवश्यक बजट हेतु 30 सितंबर के पूर्व आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को पूर्ण विवरण के साथ अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए।

16. क्या पिछले वर्ष बी.पी.एल. या अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त की है - हाँ / नहीं
यदि हाँ तो विवरण दें -

1. छात्रवृत्ति के प्रकार
2. योजना का नाम
3. पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिये छात्रवृत्ति मिली थी
4. किस संस्था के माध्यम से हुई थी
5. वर्ष
6. प्राप्त राशि
7. रिमार्क

17. क्या उच्च शिक्षा प्राप्त करने / अध्ययन जारी रखने के इच्छुक हैं - हाँ / नहीं

18. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्र लगाये

(अ) बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र (जारी रखने वाले अधिकारी का मुहर होना चाहिए)

(ब) निवासी प्रमाण-पत्र

(स) अर्ह परीक्षा की अंकसूची की प्रमाणित प्रति

(द) प्रवेश का प्रमाण

घोषणा पत्र

मैं घोषणा करती हूँ / करता हूँ कि बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अध्ययन जारी रखने के लिये ही होगा।

मैं छात्रवृत्ति नियम से अवगत हूँ आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण सही हैं। यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अंतिम होता है, गलत पाये जाने पर उनका निर्णय मेरे लिये अंतिम और बंधनकारी होगा तथा प्राप्त की गई छात्रवृत्ति की पूरी राशि या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की राशि मांगी जाने पर वापस करूंगी / करूंगा / तथा ऐसा न किये जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला अधिकारी यह राशि किसी भी तरीके से जो उचित समझें वसूली कर सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता/पालक के हस्ताक्षर

पूरा नाम / पता

स्थान

दिनांक

कार्यालयीन उपयोग हेतु

कक्षा एवं वर्ग प्रवेश क्रमांक

विषय 1.....

2.....

3.....

प्रवेश शुल्क का रसीद क्रमांक

हस्ताक्षर

प्रवेश प्रभारी

प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र प्राप्त किया।

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा

चके लिस्ट :-

1. प्रवेश हेतु साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करें।
2. प्रवेश के पश्चात् अपनी प्रथम शुल्क पर्ची, परिचय पत्र, एडमिशन कार्ड, सम्हालकर रखें।
3. शासन या विश्वविद्यालय द्वारा नियम परिवर्तन हाने की स्थिति में नए नियमों के अंतर्गत प्रवेश दिया जाएगा।
4. विवाद की स्थिति में प्राचार्य का निर्णय सर्वोपरि हागो।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की झलक



महाविद्यालय के दिग्विजय वाइब्रेंट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व भूतपूर्व छात्र रहे श्री बहादुर अली का सम्मान



अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता कु. जानेश्वरी यादव का सम्मान



व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम में अतिथि व्याख्यान



तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एम. के. वर्मा का अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में उद्बोधन



दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि उद्बोधन



दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि का सम्मान




MoU की झलकियाँ



एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में स्वागत उद्बोधन



वाणिज्य विभाग का बस्तर शैक्षणिक भ्रमण



एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में शोध संक्षेपिका विमोचन



BJMC के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण



अंग्रेजी विभाग का इंदिरा कल एवं संगीत वि.वि. का भ्रमण



महाविद्यालय में पौधारोपण के कार्यक्रम गार्डन विकास समिति के मार्गदर्शन में



प्राचार्य डॉ. के. एल. टान्डेकर द्वारा वृक्षारोपण



प्राचार्य महोदय/महाविद्यालय को प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मान



महिद्रा फाइनेंस द्वारा आयोजित प्लेसमेंट कैंप



छात्राओं को सशक्त बनाने, महिला उद्यमिता पर तीन दिवसीय कार्यशाला



IQAC बाह्य समिति की बैठक का हुआ आयोजन



सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भ्रमण



दिग्विजय महाविद्यालय को मिला क्रान्तिज्योति सावित्रीबाई फूले समता नेशनल अवार्ड



Rajnandgaon, Chhattisgarh, India
32RH+HQV, Rajnandgaon, Chhattisgarh 491441, India
Lat 21.090957°
Long 81.029788°
22/12/21 03:50 PM

दिग्विजय महाविद्यालय मे ड्राइविंग लाइसेन्स बनवाने उमड़ा छात्रों का हुजूम, शिविर सम्पन्न



आजादी का अमृत महोत्सव



यूथ रेड क्रास द्वारा कम्बल वितरण



महंत राजा दिग्विजय दास जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन

महाविद्यालय के गौरवशाली क्षण



दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.के.एल. टांडेकर को मिला डॉ. अब्दुल कलाम आईकॉनिक इंटरनेशनल अवार्ड



द्वारा शासकीय दिग्विजय स्वाशासी

तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र – कुलपति डॉ. एम. के. वर्मा एवं डॉ. एलयोर एवं डॉ. वर्धीस



तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में प्राचार्य महोदय का उद्बोधन



तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मंच में विराजमान सभी अतिथि



महविद्यालय के वार्षिक सम्मलेन में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सम्मान